मध्यप्रदेश विधान सभा
(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

चतुर्थ प्रतिवेदन

(जुलाई –अगस्त 2009 सत्र, भाग–4)

(यह प्रतिवेदन में किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वाणिज्यिक कर एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आश्वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18 मार्च,2025 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम :-	
	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1
	वाणिज्यिक कर	63
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	88

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024 - 25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक
5.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी.
7.	श्रीमती मधु रायकवार	. .	सहायक ग्रेड-1

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **चतुर्थ प्रतिवेदन (जुलाई- अगस्त 2009 सत्र भाग-4)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।
- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224 (1) के अन्तर्गत दिनांक 16 अगस्त, 2024 को गठित की गई है ।
- इस प्रतिवेदन में, जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है ।
- समिति की बैठक **दिनांक 17 मार्च, 2025** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया ।
- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है ।
- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया ।
- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया ।

भोपाल :

दिनांक : 17 मार्च, 2025

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 A, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 924, 925 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
2.	वाणिज्यिक कर	795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 1128, 1129, 1130, 1221,
3.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	124, 235, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 760, 1148, 1149, 1150, 1151,1152,1153, 1154

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	13	ता.प्र.सं. 1 (क्र.1239) 8.7.2009	प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत पदोन्नत सहायक उप निरीक्षकों के वेतन निर्धारण की कार्यवाही।	शेष के वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया जारी है। निश्चित रूप से यह 2-3 महीने के भीतर हो जाएगा।	सहायक उप निरीक्षक से मंडी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये 551 कर्मचारियों में में 14 कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त की गई है । 522 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जा चुका है । शेष 15 कर्मचारियों की सेवापुस्तिका अपूर्ण होने एवं आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/76/2009/14-3 दिनांक 24.06.2011 अद्यतन :- सहायक उपनिरीक्षक से मंडी निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये 551 कर्मचारियों में से अपात्र होने के कारण 14 कर्मचारियों की पदोन्नति निरस्त की गई है । शेष 537 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किया जा चुका है । (537+14=551 कर्मचारी) विभागीय पत्र क्रमांक 1999/1823/2015/14-3 दिनांक 7 अगस्त,2015	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	14	ता.प्र.सं. 3 (क्र.852) 8.7.2009	**टीकमगढ़ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त अनियमितताएं तथा नलकूप खनन में प्राप्त अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही ।**	**वर्तमान में टीकमगढ़ जिले से 5 अनियमितता संबंधी शिकायतों की जांच कराई जा रही है । एक प्रकरण प्राप्त हुआ है । जिसकी जांच कराई जा रही है ।**	05 अनियमितताओं पर जांच पूर्ण करा ली गई । जिसमें 03 खेत तालाबों में अधिक भुगतान के लिये श्री पी.एल.प्रजापति कृषि विकास अधिकारी दोषी पाये गये । नलकूप खनन की शिकायत निराधार पाई गई । **विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/52/09/14-3** **दिनांक 13.12.2010** **अद्यतन :-** _टीकमगढ़ जिले में कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नलकूप खनन में व्याप्त अनियमितताओं की जॉच के संबंध में विभाग द्वारा 05 अनियमितताओं पर जॉच पूर्ण करा ली गई । जिसमें 03 खेत तालाबों में अधिक भुगतान के लिये श्री पी.एल.प्रजापति कृषि विकास अधिकारी दोषी पाये गये । श्री पी.उल.प्रजापति से खेत तालाब योजनान्तर्गत अनुदान की राशि तकनीकी मापदण्डों के अनुसार रूपये 5923/-)अंकन पांच हजार नौ सौ तेईस) अधिक भुगतान किये जाने के कारण वसूली की गई एवं एक वेतन वृद्धि असंयोजनशील प्रभाव से रोकी गई । नलकूप खनन की शिकायत निराधार पाई गई । **विभागीय पत्र क्रमांक 2/2023/(FWAD) 159348)** **दिनांक 03.01;2023**	**कोई टिप्पणी नही ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	15	ता.प्र.सं. 8 (क्र.1093) 8.7.2009	कृषि विज्ञान केन्द्र लहार को भूमि आवंटित की जाकर अधिकारियों / कर्मचारियों की पदस्थापना की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसकों जल्दी से करा देगें और आपसे परामर्श करके करा लेंगे।	मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र लहार को आवंटित 20.033 हेक्टेयर भूमि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 27.07.2009 को आधिपत्य में ली गई । श्री एस.के.तिवारी को आदेश क्रमांक 1348 दिनांक 19.10.2009 को कृषि विज्ञान केन्द्र लहार में कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थ किया जा चुका है। भा.कृ.अ.प. नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 18.12.2009 द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र लहार की स्थापना हेतु राशि विमोचत करने की अनुमति दी गई है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/29/09/14-2 दिनांक 20.01.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	16	ता.प्र.सं. 12 (क्र.425) 8.7.2009	ढ़ीमरखेड़ा व पान उमरिया की उप मंडी की मंडी मं उन्नयन।	मान गये सर।	कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा की उप मंडी उमरियापान को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन करने के लिये राज्य शासन के पत्र दिनांक 26.02.2007 द्वारा प्रांगण हेतु 15.00 एकड़ भूमि,15.00 लाख वार्षिक आय एवं 15 थोक व्यापारी की संख्या इत्यादि के निर्धारित मापदंडों की पूर्ति न होने के कारण उसमें शिथिलता दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/80/2009/14-3 दिनांक 27.9.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> कृषि उपज मंडी समिति सिहोरा की उपमंडी उमरियापान को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र दिनांक 26.02.2007 द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत 15.00 एकड भूमि 15.00 लाख वार्षिक आय एवं 15 थोक व्यापारी निर्धारित है। उक्त मापदंडों की पूर्ति नहीं होने से उमरियापान को स्वतंत्र मंडी में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-80/2009/14-3 दिनांक 23 जून,2015</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	17	ता.प्र.सं. 13 (क्र.1526) 8.7.2009	रायसेन जिले के देवरी तहसील में उप कृषि उपज मंडी की स्थापना।	कृषि उपज के विपणन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होते ही उप मंडी प्रारंभ की जा सकेगी।	कृषि उपज मंडी समिति उदयपुरा की उप मंडी देवरी में विपणन की आवश्यक सुविधाओं के अंतर्गत प्रांगण में कव्हर्ड शेड चेक पोस्ट गेट निर्माण,नलकूप खनन,डब्ल्यू बी.एम.रोड़ एवं विद्युतीकरण का कार्य कराया जा चुका है । मंडी के आदेश क्रमांक 947 दिनांक 20.10.2008 से एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर उप मंडी प्रांगण देवरी में दिनांक 19.05.2011 से क्रय विक्रय प्रारंभ करा दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/1737/20/3/14-3 दिनांक 18.07.2013	कोई टिप्पणी नही।
6.	18	ता.प्र.सं. 15 (क्र.1140) 8.7.2009	बालाघाट जिले में बलराम तालाब के निर्माण में लगे मजदूरों का भुगतान।	बराबर पेमेन्ट की व्यवस्था करायेंगे।	बालाघाट जिले में बलराम ताल निर्माण कार्य कृषक द्वारा ही कराये जाने के फलस्वरूप उसमें लगे मजदूरों को भुगतान हितग्राही कृषक द्वारा किये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत कार्य के मूल्यांकन के पश्चात अनुदान राशि का भुगतान बालाघाट जिले के संबंधित हितग्राही कृषकों को अगस्त,2009 तक किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/44/07/14-3 दिनांक 6.4.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	19	ता.प्र.सं. 18 (क्र.3838) 8.7.2009	किसान कल्याण एवं कृषि विभाग में पदस्थ डॉ. एच. बी. एस. भदौरिया पदेन उप सचिव को कार्य मुक्त किया जाना।	प्रकरण में निर्णय उपरांत उचित कार्यवाही की जावेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7(116)/2005//1-7/स्था-3 दिनांक 7.5.09 जिसके डॉ. एच.बी.एस.भदौरिया को पदेन उप सचिव घोषित किये जाने संबंधी पूर्व आदेश दिनांक 28.10.05 को निरस्त किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के ही समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2009 के द्वारा निरस्त किया जाकर श्री भदौरिया को पदेन उप सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में यथावत रखा गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-8ण-07/2009/14-1 दिनांक 14.12.2009	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	20	ता.प्र.सं. 24 (क्र.1585) 8.7.2009	कृषि विभाग में 1 जनवरी 2004 से 15 मई 2009 तक संयुक्त संचालक एवं उप संचालक स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित जांच के प्रकरणों का निराकरण ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही निर्भर है।	13 विभागीय जांच प्रकरणों में से दो प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है । एक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है । जिसका परीक्षण उपरांत उन्हें कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है । श्री एस.के.प्यासी से संबंधित प्रकरण आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन मं प्रचलित है । शेष 9 प्रकरणों में जांच अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-8ए-08/2009/14-1 दिनांक 14.12.2009</u> <u>अद्यतन :-</u> कृषि विभाग में 01 जनवरी 2004 से 15 मई 2009 तक के कुल 13 विभागीय जांच प्रकरण थे जिनमें से 12 प्रकरण निराकृत हो चुके थे । शेष एक प्रकरण श्री एस.आर.रहंगडाले तत्कालीन आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना भोपाल के विभागीय जांच प्रकरण में शासन आदेश क्रमांक एफ ए -1-ए/30:2004/14-1 में आदेश दिनांक 25 मई 2018 द्वारा श्री रहंगडाले की 15 प्रतिशत पेंशन राशि रोकने का दंड दिया जा चुका है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक 1352/3883/2017/14-1 दिनांक 12.06.2018</u>	<u>कोई टिप्पणी नही ।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	21	परि.ता.प्र.सं. 9 (क्र.298) 8.7.2009	डबरा सुगर मिल द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच आदेशित है दोषी पाये जाने पर डबरा फेक्ट्री के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अपर गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के द्वारा दिनांक 18.8.2009 को जांच सम्पन्न करायी गई। जांच में पाया गया कि दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा के द्वारा कृषकों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिएलिए गन्ना आयुक्त के द्वारा फेक्ट्री के विरूद्ध आर.आर.सी.जारी की गई। आर.आर.सी.की की राशि की वसूली कलेक्टर के द्वारा की जाती है। शुगर फेक्ट्री प्रबंधन के द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान के रूप में जारी किये गये पोस्ट-डेटेड चैक्स फेक्ट्री के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होन के कारण बाउन्स हुये। वर्ष 2006 से 31.12.2009 तक फेक्ट्री के द्वारा जारी किये गये 3676 चैक्स रूपये 3,23,09,335/- बाउन्स हुये। चैक बाउन्स होने के कारण कृषकों को गन्ना मूल्य की राशि प्रदत्त नहीं हो सकी। चैक बाउन्स पर कार्यवाही करने के लिये चैक प्रदायकर्त्ता एवं चैक प्राप्तकर्त्ता का व्यक्तिगत मामला होता है। इसके लिये चैक प्राप्तकर्त्ता पुलिस थाने एवं माननीय न्यायालय में जाने के लिये स्वतंत्र है। चैक बाउन्स होने पर कार्यवाही करना गन्ना आयुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विभागीय पत्र क्र. डी-10-42/08/14-3/3648 दिनांक 05.08.2019	कोई टिप्पणी नही।

					<u>अद्यतन :-</u> गन्ना आयुक्त की अध्यक्ष में गठित जांच समिति के द्वारा दिनांक 18.08.2009 को जांच सम्पन्न कराई गई । जांच में पाया गया कि दि ग्वालियर शुगकर कंपनी लिमिटेड डबरा के द्वारा कृषकों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया इसके लिये गन्ना आयुक्त के द्वारा फेक्ट्री के विरूद्ध आर.आर.सी.जारी की गई । कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक टी-2 /बन्ना/2018-19/1612 दि. 18.03.2019 के द्वारा दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा पर कर्मचारियों एवं गन्ना किसानों की देनदारियों के भुगतान हेतु समिति का गठन किया गया । उक्त समिति के निर्देशानुसार दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं नव भारम के संस्करण दिनांक 31.07.2019 के अंक के कर्मचारियों एवं गन्ना किसानों की देनदारियों के भुगतान संबंधी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया गया एवं दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा द्वारा पत्र क्रमांक 71/2020 दिनांक 13.10.2020 से अवगत कराया गया कि दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा पर गन्ना उत्पादक कृषकों को भुगतान हेतु कोई गन्ना मूल्य शेष नहीं है । कार्यालय तहसीलदार डबरा के पत्र क्रमांक री-1/2019/1721 दिनांक 27.11.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा पर किसानों के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई आर.आर.सी.तहसील न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही प्रचलित है	

					दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा द्वारा पत्र क्रमांक 650/2019 दिनांक 21.11.2019 से अवगत कराया गया कि वर्तमान में कंपनी पर गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु जारी किये गये चैक बाउंस संबंधी कोई भी प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में लंबित नहीं है । कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू/स्टेनों/विविध/2/2022/99 दि. 15.01.2022 के माध्यम से इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार दि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड डबरा पर गन्ना उत्पादक कृषकों को भुगतान हेतु कोई गन्ना मूल्य शेष नहीं है । शुगर कंपनी की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 7760/2006 में पारित आदेश दिनांक 2.11.2012 से शुगर कंपनी को वादग्रस्त भुमि का भूमिस्वामी घोषित किये जानेके फलस्वरूप कोई कार्यवाही की जाना प्रतीत नहीं होती है । विभागीय पत्र 125/2022/**FWAD**(98074) दिनांक 29.09.2022	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	22	परि.ता.प्र.सं.19 (क्र.636) 8.7.2009	सतना जिले में बुवाई हेतु सोयाबीन की पूर्ति ।	शेष की पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे है।	खरीफ वर्ष 2009 में जिले में हुई कम वर्षा के कारण सोयाबीन बीज मांग में कमी आई एवं जिले में सोयाबीन बीज की उपलब्ध मात्रा 15860.30 क्विंटल से ही पूर्ति हो गई। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/16/2009/14-2 दिनांक 16.02.2010	कोई टिप्पणी नही।
11.	23	परि.ता.प्र.सं.22 (क्र.697) 8.7.2009	झाबुआ जिले में कृषि अभियांत्रिकी ट्रेक्टर यूनिटों की स्थापना।	झाबुआ जिले में यूनिट की स्थापना प्रक्रियाधीन है।	यूनिट की स्थापना दिनांक 10.10.2009 को हो चुकी है तथा यूनिट द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-53/09/14-3 दिनांक 27.11.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	24	अता.प्र.सं. 42 (क्र.931) 8.7.2009	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में सीधी भरती के रिक्त पदों पर नियुक्ति।	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सर्वेयर के रिक्त पदों से 160 कृषि विस्तार अधिकारी 823 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं 167 सर्वेयर के पद भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 105 सहायक ग्रेड-3 एवं 373 चतुर्थ श्रणी भृत्य / चैनमेन / चौकीदार / कर्मचारियों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति अनुकंपा नियुक्ति से किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित वर्ग के कुल 36 बैंकलाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कृषि विकास अधिकारी के 160 ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी के 823 एवं सर्वेयर के 167 बैंकलांग के पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती से करने हेतु दिनांक 3.8.2009 द्वारा व्यापम को विज्ञप्ति जारी करने के लिये प्रस्ताव गया है। सहायक ग्रेड -3 के 105 रिक्त पदों में से 10 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की गई तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 375 पदों में से 16 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की गई है। शेष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुकंपा से भरे जावेंगे। जैसे जैसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे वैसे वैसे नियुक्ति प्रदान की जावेगी। संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित वर्ग से कुल 36 बैंकलांग के रिक्त पदों पर सीघी भर्ती को कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्र. एफ 8 ए/10/2009/14-1 दिनांक 17.06.2011 अद्यतन :- 1. कृषि विकास अधिकारी 91 संचालनालयीन आदेश कअ-2/स्था/9-12/747 भोपाल दि.20.2.13 कअ-2/एलडी/स्था/9-12/969 दि. 5.3.13 एवं क.अ-2 / एल.डी / स्था/ 9-12 /1831 दि. 30.4.13 2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधि.-528 संचालनालयीन आदेश क्रमांक अ-3-अ/ग्रासे/स्था/बैंक/1-13/3238 दि.17.7.13 कअ-3-अ,ग्रासे/स्था/बैंक/1-13/3274 दिनांक	कोई टिप्पणी नही।

					19.07.13 कअ-3-अ/ ग्रासे / स्था / बैंक / 1-13 / 4223 दि.7.9.13 क्रअ-3-अ/ग्रासे/स्था/बैंक/1-13/4423 दिनांक 18.09.13 क्रअ-3-अ/ग्रासे/स्थ/बैक/1-13/1924 दि.4.5.13 क्रअ-3/ग्रासे/स्था/बैंक/1-13/1839 दिनांक 30.04.2013 3. भूमि संरक्षण सर्वे अधि-112 आदेश क्र.अ-2-4/स्था/02-13/1926 दिनांक 4.3.13 क्र.ट.-2-4/स्था/02-13/1928 दिनांक 4.5.13 क्र.अ-2-4/स्था/2-13/स्था/02-13/2207 दिनांक 22.05.13 एवं क्र अ-2-4/स्था/02-13/3204 दिनांक 17.07.13 4. सहायक ग्रेड-3 के 126 पदों हेतु संचालनालयीन आदेश क्रमांक अ-2-6/स्था/08-2012/7 दिनांक 22.02.13 क्र अ-2-6/स्था/08-2012/2214 दिनांक 22.05.13 के अ-2-6/स्था/08-2012/2270 दिनांक 24.06.13 के अ-2-6/स्था/8-12/3636 दिनांक 3.8.13 5. भृत्य संवर्ग के 176 पदों पर आदेश क्रमांक अ-2-6/स्था/6-2013/984 दिनांक 5.3.2013 तथा क्रमांक अ-2-6/स्था/1-2013/3794 दिनांक 16.08.2013 द्वारा बैकलांग के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के अंतर्गत व्यापम के माध्यम से नियुक्ति की गई है। शेष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुकंपा के 125 पदों की पूर्ति की गई। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-8ए/10/2009/14-1 दिनांक 16.02.2012	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	25	अता.प्र.सं.46 (क्र.1084) 8.7.2009	वर्ष 2009-10 में शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र में तालाब योजना अंतर्गत तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना।	जिले के लिये वर्ष 2009-10 में 19 बलराम ताल निर्मित किये जाने का लक्ष्य है।	उप संचालक कृषि जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक /विस/अता/2015-16/5397 दि. 06.10.2015 के पत्र अनुसार वर्ष 2009-10 में जिले 29 बलराम तालाबों में से विकास खंड करैरा में 01, बलराम तालाब कृषक द्वारा कार्य न करने से पूर्ण नहीं हो सका। विकासखंड पोहरी में 01 बलराम तालाब कृषक द्वारा कार्य न करने से पूर्ण नहीं हो सका। इस प्रकार 27 तालाब पूर्ण किये गये व 02 तालाब अपूर्ण रहें। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/48/09/14-3 दिनांक 16.04.2010 अद्यतन :- शिवपुरी जिले में वर्ष 2009-10 के लिये बलराम ताल के 19 भौतिक एवं 15 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें प्रगति स्वरूप 7 बलराम ताल पूर्ण तथा 4 अपूर्ण है एवं 8 तालाबों का कार्य शुरू हो गया है। करैरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो विकासखंड आते है – प्रथम नरवर विकासखंड के तीन प्रकरण विलंब से जनवरी 2010 में प्राप्त हुये जो स्वीकृत नहीं किये जा चुके थे। विकासखंड करेरा में दो ही प्रकरण प्राप्त हुये है जिनकी स्वीकृति पूर्ण में दी जा चुकी है। कृषक द्वारा निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के उपरांत मूल्यांकन पश्चात अनुदान राशि चैक द्वारा कृषकों को भुगतान हो सकेगी। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/48/09/14-3 दिनांक 16.04.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	26	अता.प्र.सं.52 (क्र.1195) 8.7.2009	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन में माननीय उच्च न्यायाल के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की जाना एवं वर्तमान में शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त के विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को हटाया जाना।	प्रक्रिया प्रचलित है। परिपत्र दिनांक 5.5.09 अनुसार कार्यवाही प्रचलित है।	माननीय उच्च न्यायालय क परिपालन में दिनांक 5.5.2009 को जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों का व्यक्तिवार परीक्षण किया जाकर समग्र मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/61/2009/14-3</u> <u>भोपाल दिनांक 19.12.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में मंडी बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5.5.2009 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति के संबंध में कार्यवाही करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20.08.2009 दिनांक 7.9.09 एवं दिनांक 20.01.2012 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी के व्यक्तिवार प्रकरणों का परीक्षण / मूल्यांकन कर जो अधिकारी / कर्मचारी अनुपयुक्त पाये गये उनकी सेवायें संबंधित के पैतृक विभाग को वापस की जा चुकी है। विवरण की सूची परिशिष्ट ''एक'' पर है। मध्यप्रदेश राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 में प्रतिनियुक्ति के प्रावधान है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाती है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/61/2009/14-3</u> <u>भोपाल दिनांक 28.10.2014</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	27	अता.प्र.सं.55 (क्र.1247) 8.7.2009	कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यों को संशोधित मानदेय एवं भत्तों का भुगतान पूर्व घोषित दिनांक से किया जाना ।	प्रकरण में निर्णय लेने के उपरांत स्वीकृति दिनांक से संशोधित भत्तों का भुगतान हो सकेगा।	विभाग ज्ञाप क्रमांक डी-15-48/2000/14-3 भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2009 के द्वारा मंडी समितियों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं संचालक सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु मानदेय, यात्रा भत्ता एवं सत्कार भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/345/2019/14-2 दिनांक 6 अगस्त,2019 अद्यतन :- मंडी अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्यों को संशोधित मानदेय भत्तों का भुगतान मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक डी-15-7/13/2016/14-3 भोपाल दिनांक 24.10.16 द्वारा संशोधित मानदेय भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/345/2019/14-2 दिनांक 6 अगस्त,2019	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	28	अता.प्र.सं.83 (क्र.1522) 8.7.2009	रीवा एवं जबलपुर संभाग की मंडियों में गृह जिलों में पदस्थ कार्यपालिक पदों पर सहायक उप निरीक्षक एवं मंडी निरीक्षक के स्थानांतरित करने की कार्यवाही एवं इनके विरूद्ध 1.4.08 से वर्तमान तक प्राप्त शिकायतों की जांच कर कार्यवाही तथा संबंधित मंडी से स्थानांतरण।	कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानांतरण प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर किया जा सकेगा। शेष 03 प्रकरणों में जांच प्रचलित है। जांच के निष्कर्ष पर आगामी कार्यवाही निर्भर है।	1/- श्री राजकुमार नीखरा (गुप्ता(मंडी निरीक्षक मंडी कटनी का आदेश दिनांक 3.3.2010 द्वारा स्थानांतरण मंडी बिछिया किया जा चुका है साथ ही श्री नीखरा मंडी निरीक्षक के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री जगदीश पटेल,सचिव मंडी कर्मचारी संघ एवं श्री छत्रपाल सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच में प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। तथा शिकायतकर्ता श्री नरेन्द्र राय ग्राम पटोहा कटनी एवं श्री प्रमोद पाठक भैसवाही द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के आधार पर श्री राजकुमार नीखरा(गुप्ता) मंडी निरीक्षक एवं श्री आर.डी.तिवारी सचिव को पत्र दिनांक 18.03.10 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है। 2/- श्री कल्लू यादव/श्री राजकुमार नीखरा(गुप्ता) मंडी निरीक्षक के विरूद्ध श्री मेनलाल पटेल कृषक कटनी द्वारा की गई शिकायत जांच में असत्य पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा चुका है। 3/- श्री सरजूलाल महाबिया मंडी निरीक्षक मंडी छिन्दवाड़ा के विरूद्ध कृषक गण मंडी छिन्दवाडा द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सरजुलाल महोबिया मंडी निरीक्षक मंडी छिन्दवाडा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनाक 22.12.09 को जारी किया गया था। प्राप्त उत्तर की समीक्षा उपरांत श्री सरजूलाल महोबिया की ड्यूटी फल सब्जी प्रांगण में लगाने के निर्देश सचिव मंडी छिन्दवाड़ा को पत्र दिनांक 27.10.10 को देते हुये प्रकरण समाप्त किया गया। <u>विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/59/2009/14-3 दिनांक 24.06.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> श्री राजकुमार निखरा(गुप्ता) मंडी निरीक्षक एवं श्री आर.डी.तिवारी सचिव कृषि उपज मंडी	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

					समिति कटनी को जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18.03.2010 के संबंध में संबंधित द्वारा प्रस्तुत उत्तर की समीक्षा उपरांत श्री राजकुमार गुप्ता मंडी निरीक्षक के विरूद्ध आदेश दिनांक 1.11.12 द्वारा 02 वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभावी से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई है । श्री आर.डी.तिवारी तत्कालीन सचिव मंडी कटनी के सेवानिवृत्ति के कारण वेतन ब्द्धि की पात्रता नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई थी । विभागीय जांच के आदेश क्रमांक 1062 दिनांक 05.07.2013 द्वारा 5% पेंशन पांच वर्ष के लिये रोकने की शास्ति अधिरोपित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-59/2009/14-3 दिनांक 30 जून,2015**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	29	परि.ता.प्र.सं.28 (क्र.925) 8.7.2009	किसान कल्याण तथा कृषि संचालनालय में फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की नस्ती गायब होने की जांच एवं कार्यवाही।	श्री सेंगर द्वारा आरोप पत्रादि का प्रस्तुत उत्तर परीक्षणाधीन है।	श्री सेंगर लेखापाल को प्रश्नाधीन विषय में दोषी पाया गया । विभागीय जांच की गई । अनुशासनिक अधिकारी संचालक कृषि के आदेश क्रमांक अ-5-अ/21/06/2325 दिनांक 29.10.10 से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण (अपील) के नियम 1966 के नियम 12 (2) के प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नियम 10(4) के अंतर्गत दंडित करने की कार्यवाही कर दी गई है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए-09/2009/14-1 दिनांक 6.12.1010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	30	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.992) 8.7.2009	मनासा जिला नीमच के ग्राम हादी पिपल्या में कृषि विभाग लघुत्तम सिंचाई योजना के कार्य पूर्ण किये जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	ग्राम हाड़ी पिपाल्या जनपद पंचायत मनासा के स्टॉप डेम निरीक्षण दिनांक 16.12.2013 को कृषि विभाग के अधिकारी एवं सहायक यंत्री मनरेगा एवं उपयंत्री जनपद पंचायत मनासा के द्वारा किया गया है । वस्तु स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित हुई है। 1. निरीक्षण के दौरान स्टाप डेम निर्माण कार्य नाला बेड लेवल तक पाया गया जो तकनीकी दृष्टि से ठीक नहीं पाया गया। 2. उक्त कार्य की टी.एस.2005-06 में राशि रूपये 9.99 लाख की जारी की गई थी। वर्ष 2005-06 से 2.02 लाख एवं वर्ष 2006 -07 में 1.245 लाख इस प्रकार कुल 3.265 व्यय पाया गया एवं शेष राशि रूपये 6.72 लाख है। 3. तकनीकी दृष्टि से इस निर्मित स्टॉप डेम में आगे निर्माण कार्य कराना उचित नहीं होगा। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-43/2009/14-3 दिनांक 9.2.2016	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	31	परि.ता.प्र.सं.48 (क्र.1332) 8.7.2009	परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपमंडी का संचालन किया जाना ।	शेष आवश्यक कार्य जैसे बाउड्रीवाल विद्युतीकरण जल व्यवस्था आदि का कार्य पूर्ण होते ही परारिया उपमंडी प्रागंण का संचालन प्रारंभ कर दिया जावेगा	परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उप मंडी परासिया के बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य को किसान सडक निधि के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा । परासिया उपमंडी प्रागंण में जल व्यवस्था हेतु वाटर टेंक एवं वाटर ट्रफ कनेक्शन नगर पंचायत से लेकर पानी की व्यवस्था शीघ्र करा ली जावेगी । प्रांगण में विद्युतीकरण की व्यवस्था हेतु आवश्यक राशि विद्युत विभाग में जमा करा दी गई है । शीध्र ही विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करा ली जावेगी । <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/75/19/14-3 दिनांक 15.04.10</u> <u>अद्यतन :-</u> छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत कृषि उपज उपमंडी परासिया के प्रांगण में आफिस कम गोदाम ओपन प्लेट फार्म वाटर टेंक,वाटर ट्रफ कव्हर्ड आक्शन प्लेट फार्म विद्युत व्यवस्था जल व्यवस्था 500 मेट्रिक टन गोदाम के निर्माण कार्य पूर्ण करा कर कृषि उपज मंडी समिति छिन्दवाडा के आदेश क्रमांक 7275 दिनांक 21.3.2011 से 3 कर्मचारियों की ड्यूटी नियम की जाकर दिनांक 22.03.2011 से क्रय विक्रय का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/75/2009/14-3 दिनांक 26.09.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपज मंडी का संचालन के संबंध में कृषि उप मंडी समिति छिन्दवाड़ा के अंतर्गत परासिया में	<u>कोई टिप्पणी नही ।</u>

					उप मंडी प्रांगण की स्थाना मध्यप्रदेश शासन,किसान कल्याण तथाा कृषि विकास विभाग ने अधिसूचना क्रमांक डी-15-06/2008/14-3 दिनांक 30.04.2008 से जारी की गई है । उप मंडी प्रांगण में किसानों व्यापारियों की सुविधा हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जाकर दिनांक 17.11.2017 से उपमंडी प्रांगण परासिया में कृषि उपज का क्रय विक्रय प्रारंभ करा दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 1388:3883/2016/14-1 दिनांक 5.8.19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	32	परि.ता.प्र.सं.56 (क्र.1432) 8.7.2009	प्रदेश की शेष कृषि उपज मंडियों में किसानों के लिये कैंटिन व्यवस्था की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश की शेष 19 मंडी समितियों में से 18 मंडी समितियों में किसानों के लिये कैंटिन / भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। प्रदेश की कुल 238 मंडी समितियों में 237 मंडी समितियों में किसानों क लिये कैंटिन / भोजन व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। कृषि उपज मंडी समिति पवई जिला पन्ना में प्रांगण स्थापित नहीं होने के कारण कैंटिन / भोजन व्यवस्था प्रारंभ नहीं हो सकी है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/73/2009/14-3 दिनांक 15.02.2010	कोई टिप्पणी नही।
21.	32 A	अता.प्र.सं.26 (क्र.566) 8.7.2009	कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही एवं पूर्ण के कर्मचारियों को नियमित न किया जाकर कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमित किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	**1.** दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही प्रचलित है। **2.** नियमितीकरण के लिये छानबीन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार हेतु जारी परिपत्र 5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3 दिनांक 06 सितम्बर,2008 द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मापदंडों के तहत उपयुक्त पाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दिनांक 31.08.09 को नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/65/09/14-3 दिनांक 15.4.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	33	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 160 दिनांक 14.7.2009	टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में आठ किसानों के गेंहूं बिक्री में हुई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध तथा किसानों को भुगतान कराये जाने की कार्यवाही ।	बराबर भुगतान होगा और जो निगलीजेंस हुआ है उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे ।	कार्यालयीन आदेश दिनांक 22.05.2009 द्वारा श्री प्रवीन कुमार जैन प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से पैतृक विभाग की वापिस की जाकर भारमुक्त किया जा चुका है । 2/- भारतीय खाद्य निगम भोपाल द्वारा श्री एल.पी.गौतम प्रबंधक (गौ) भंडारण केन्द्र टीकमगढ़ की आदेश दिनांक 25.06.10 द्वारा समयमान वेतन एक वर्ष के लिये एक स्तर असंचयी प्रभाव से कम करने की शास्ति दी गई है । 3/- मंडी सचिव टीकमगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30.08.2009 के अनुसार कृषक सर्वश्री सुरेश कुमार,जयराम हेमन्त कों मंडी प्रांगण में विक्रय किये गये गेहूं का भुगतान प्राप्त हो चुका है । सर्वश्री खेमचंद रज्जु गुलजारीलाल का गेंहूं का भुगतान प्राप्त हो चुका है । सर्वश्री खेमचंद रज्जु गुलजारीलाल का गेंहूं भारतीय खाद्य निगम को विक्रय करना प्रमाणित नहीं हो रहा है । श्री कुर्रे का गेहूं मंडी प्रांगण से गायब होने बाबत रिपोर्ट पर थाना कोतवाली टीकमगढ़ द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 388:09 की विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी एवं माल की तलाश किये जाने पर माल मुलजित का कोई पता न चलने क कारण प्रकरण में खात्मा क्रमांक 72/09 दिनांक 29.12.09 कर दिया गया है । श्री छोटेलाल का भारतीय खाद्य निगम को गेहूं बेचना प्रमाणित हो रहा है । भारतीय खाद्य निगम से उक्त किसानों का कोई भुगतान लंबित नहीं है । विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/1582009/14-3 दिनांक 18.8.2011	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	34	ता.प्र.सं.6 (क्र.1496) 15.7.2009	राजगढ़ जिले में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में लागू खेत तालाब योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	मैं पूरी जांच करवाकर मान्यवर को जानकारी प्रदान कर दूंगा।	राजगढ़ जिले वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रियान्वित खेत तालाब योजना अंतर्गत खोदे गये तालाबों की जांच कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल के द्वारा एवं उप संचालक कृषि राजगढ़ के द्वारा करवाई गई। जांच उपरांत कोई भी शिकायत एवं अनियमितता नहीं पाई गई। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/96/09/14-3 दिनांक 31.12.2011	कोई टिप्पणी नही।
24.	35	ता.प्र.सं.14 (क्र.955) 15.7.2009	मैहर विकासखंड अंतर्गत मंडी निधि से किये गये निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन और रि-मेजरमेंट किया जाना।	यह हम करा देंगे।	मण्डी समिति मैहर में मंडी निधि से कराये गये निर्माण कार्य का गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन एवं रि-मेजरमेंट कराया गया जो कि सही पाया गया। विभागीय पत्र क्रमांक निर्माण/विस14/ता/आश्वासन 35 / 1111 दिनांक 9.8.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	36	ता.प्र.सं.22 (क्र.518) 15.7.2009	1. जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को प्रदेश शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा आवंटित राशि से किये गये कार्यों की जांच एवं कार्यवाही एवं 2. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल की स्वीकृति के बगैर करोड़ों रूपये के किये गये कार्यों की जांच एवं कार्यवाही। 3. कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त से राशि रूपये 1700 लाख से कार्य किये जाना।	1. मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रि याधीन है। 2. यह निश्चित रूप से नियम के विरूद्ध है कुलपति जी को प्रमंडल की अनुमति से ही कार्य कराना चाहिए था और उसमें जो भी जानकारी और प्राप्त करके उनके खिलाफ क्या हो सकता है देखेंगे। 3. इसके लेप्स होने का कोई खतरा नहीं है कार्य करा लिये जायेंगे।	1/- मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) भोपाल के पत्र क्रमांक 3026 / मुतप)स)/लोनिवि/113/07-08 दिनांक 3.6.2011 एवं क्रमांक 5699/ मुतप(स) लोनिवि/59/04-05 दिनांक 28.10.2011 द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरांत प्रकरण संगठन से समाप्त कर दिया गया है। 2/- वर्ष 2005-06 से 2008-09 में विश्वविद्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की स्वीकृति /कार्योत्तर स्वीकृति कुलपति द्वारा प्रबंध मंडल से प्राप्त की गई है। प्रबंध मंडल ने 186 वीं बैठक दिनांक 14.09.2009 में इन निर्माण कार्यो की एकजाई कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। 3/- कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना बाबत वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक रूपये 3251.90 लाख का आवंटन अद्योसंरचना विकास हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है। जिसके विरूद्ध उक्त अवधि में रूपये 3099.12 लाख का व्यय किया गया शेष राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत अनुबंध की शर्त के तहत भुगतान किया जावेगा। <u>विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/46/2009/14-2 दिनांक 29.02.2012</u> <u>अद्यतन :-</u> वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2008-09 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

					बाबत राशि रूपये 3869.46 लाख का आवंटन अधोसंरचना विकास हेतु प्राप्त हुआ । जिसमें से राशि रूपये 2170.23 का व्यय किया जा चुका है । शेष राशि रूपये 1782.23 लाख की राशि वर्क्स डिपोजिट के मद में उपलब्ध था । डिपाजिट राशि में से रूपये 1762.23 लाख का भुगतान किया जा चुका है । शेष राशि के भुगतान की कार्यालयीन प्रक्रिया जारी है । कृषि विज्ञान केन्द्रों की अधोसंरचना विकास हेतु प्राप्त कोई भी राशि व्ययगत (*Lapsed*)नहीं हुई है । विभागीय पत्र क्रमांक 117/3883/2016/14-1 दिनांक 03.02.2022	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	37	ता.प्र.सं.25 (क्र.2715) 15.7.2009	टीकमगढ़ जिले में नलकूप अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रकरण तैयार करने की राइटिंग स्पेशलिस्ट से जांच एवं कार्यवाही ।	मैं पुन: इसकी जांच करा लूंगा ।	विवादास्पद अभिलेख एवं श्रीमती उर्मिला पूर्व सरपंच बरेठी के फर्जी हस्ताक्षर के नमूनों की जांच कर राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल के स्टेट एक्जामिनर श्री रितुराज गुप्ता द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण कर जांच की गई । जांच प्रतिवेदन निर्णय दिनांक 07.09.2011 अनुसार श्रीमती उर्मिला पूर्व सरपंच बरेठी के हस्ताक्षर में समानता है फर्जी नहीं पाये गये है । विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/10/2009/14-3 दिनांक 19.01.2012	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	38	परि.ता.प्र.सं.22 (क्र.1611) 15.7.2009	मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ विभाजन के समय आपसी सहमति स्थानांतरण के बाद मध्यप्रदेश में पदस्थापना।	प्रकरण परीक्षणाधीन है।	महिला नीति के तहत महिलाओं को उनकी इच्छानुसार विकल्प के आधार पर राज्य आवंटन की सुविधा के तहत श्रीमती हर्षा आहुजा को संचालनालय में ही सहायक ग्रेड-2 के रिक्त पद के विरूद्ध यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती हर्षा आहुजा सहायक ग्रेड-2 को संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल में सहायक ग्रेड-2 के रिक्त पद के विरूद्ध यथावत रखते हुए संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक /अ-2-6/स्था/100/2000/3641-42 दि. 26.06.2012 द्वारा समायोजित किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए/13/2009/14-1 दिनांक 10.07.2012	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	39	परि.ता.प्र.सं.67 (क्र.2776) 15.7.2009	प्रदेश के कृषि विपणन बोर्ड संभागों में संयुक्त संचालक / उप संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पदों पर प्रभारी अधिकारियों को हटाकर वास्तविक अधिकारियों की पदस्थापना।	कार्यवाही परीक्षणाधीन है।	मंडी बोर्ड में संयुक्त संचालक के 12 पद स्वीकृत है । जिसके विरूद्ध मात्र 03 संयुक्त संचालक पदस्थ है। जो आवश्यकतानुसार मुख्यालय में ही पदस्थ है । बोर्ड संवर्ग में 09 उप संचालक से संयुक्त संचालक क पद पर पदोन्नति हेतु अधिकारी पात्र हो चुके है । पदोन्नति उपरांत संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थापना की जा सकेगी। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/114/09/14-3 दिनांक 27.12.10 अद्यतन :- मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में उपलब्ध संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों में से कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय उज्जैन ग्वालियर,सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक की पदस्थापना की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक 1396/1482/2015/14-3 दिनांक 23 जून 2015	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	40	परि.ता.प्र.सं.77 (क्र.2873) 15.7.2009	शासन के प्रतिनियुक्ति मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत राज्य मंडी बोर्ड के विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को एकजाई आदेश से मुक्त किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों / कम्रचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि वृद्धि करने / वापिस करने संबंधी कार्यवाही के लिये कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1622 दिनांक 4.6.2011 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.01.12 में समीक्षा / परीक्षण उपरांत लिये गये निर्णय अनुसार 17 कर्मचारियों जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के एवं 01 शिक्षा विभाग के ,01 बीज प्रमाणीकरण के तथा 01 कृषि यांत्रिकी विभाग के इस प्रकार कुल 20 अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवायें समीक्षा समिति की अनुशंसा एवं लिये गये निर्णय अनुसार उनके पैतृक विभाग को कार्यालयीन आदेश दिनांक 31.01.12 एवं 24.05.12 द्वारा वापिस की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/2436/20/14-3 दिनांक 8.11.12	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	41	परि.ता.प्र.सं.78 (क्र.2876) 15.7.2009	धार जिले की धामनोद मंडी में शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त के विपरीत संवर्गवार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को उनके मूल विभाग को वापस किया जाना।	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में दिनांक 5.5.09 को जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप कार्यवाही प्रचलित है।	श्री डी.एस.कुशवाह विस्तार अधिकारी तिलहन संघ को मंडी बोर्ड में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2010 द्वारा तिलहन संघ एवं दुग्ध संघ के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अविध दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.11 तक बढ़ाई गई है। इस कारण श्री कुशवाह को कृषि उपज मंडी समिति धामनोद से हटाते हुये प्रशासनिक आधार पर कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा में आदेश दिनांक 5.6.2010 द्वारा पदस्थ किया गया है। विभागीय पत्र क्रं. डी-10/20/20/2009/14-3 दिनांक 24.06.2011	कोई टिप्पणी नही।
31.	42	अता.प्र.सं.69 (क्र.2670) 15.7.2009	मध्यप्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग में एक ही शाखा में कई वर्षो से पदस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों का स्थानांतरण।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कृषि संचालनालय आदेश क्रमांक /एल /05 / 09/ 466 दिनांक 24.09. से 19 कर्मचारियों की संलग्न सूची अनुसार शाखा परिवर्तित की जा चुकी है। शत प्रतिशत परिवर्तन प्रशासकीय दृष्टि से करना संभव नहीं हो पा रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक 8 ए /12/09/14-1 दिनांक 06.01.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	44	अता.प्र.सं.89 (क्र.2860) 15.7.2009	सतना में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों श्री वी.पी. तिवारी तत्कालीन उप संचालक कृषि सतना के एवं श्री आर.के.पाण्डेय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा श्री जी.पी.मिश्रा सहायक ग्रेड-2 कार्यालय उप संचालक कृषि सतना के विरूद्ध आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है।	तीनों अपचारी अधिकारी / कर्मचारियों को विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4 ए-4 / 2009/14-1 दिनांक 15 सितम्बर,2009 के द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये है । विभागीय आदेश दिनांक 10.03.2010 के द्वारा श्री बी.पी.तिवारी तत्कालीन उप संचालक कृषि सतना को निलंबित किया गया। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के आदेश दिनांक 10.03.2010 के द्वारा श्री आर के पाण्डे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं श्री जी.पी.मिश्रा सहायक ग्रेड-2 को निलंबित किया गया । आरोपों का उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 27 सितम्बर,2010 द्वारा आयुक्त विभागीय जांच को जांचकर्ता एवं उप संचालक कृषि सतना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय जांच की कार्यवाही आयुक्त विभागीय जांच द्वारा की जा रही है । जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8A-14/2009/14-1 दिनांक 18 नवम्बर,2011** **अद्यतन :-** तीनों अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में शासन आदेश क्रमांक एफ 4 ए / 2009/214-1 दिनांक 27.09.2010 के द्वारा आरोपों की जांच करने हेतु आयुक्त विभागीय जांच को जांचकर्त्ता एवं उप संचालक,कृषि सतना को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच कर्त्ता अधिकारी से	**कोई टिप्पणी नही।**

					विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए-14/2009/14-1 दिनांक 2.07.2013 अद्यतन :- मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2018 द्वारा श्री बी.पी.तिवारी तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना श्री आर;के.पाण्डे व.कृ.वि.अधिकारी तथा श्री जी.पी.मिश्रा सहायक ग्रेड-2 कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सतना के आदेश दिनांक 23.3.2010 द्वारा श्री भूपाल सिंही तत्कालीन प्रक्षेत्र प्रबंधक रेवरा को 15 प्रतिशत पेंशन तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम-9 के अंतर्गत वापिस लिये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है । कार्यवाही पूर्ण । विभागीय पत्र क्रमांक उ88/3883/2016/14-1 दिनांक 5.8.2019	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	45	मांगों पर चर्चा 44 21.07.2009	सीहोर और भोपाल जिले के कृषि विश्वविद्यालयों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में शामिल किया जाना ।	करेंगे ।	प्रदेश में वर्ष 20087 में एक नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान में दो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है । दोनों कृषि विश्वविद्यालयों की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुल 50 जिलों में से 25-25 जिले दोनो कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित किये गये । जिसकी विधिवत अधिसूचना जारी हो चुकी है । इस संबंध में विधि विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया गया है । जिस पर विधि विभाग का मत है कि दोनों विश्वविद्यालयों को आवंटित क्षेत्रों में पुन: इन जिलों को अंतरण किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई एवं संवैधानिक जटिलता होगी । विभागीय पत्र क्रमां क3824/11/2010/14-2 दिनांक 11 नवम्बर,2014	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	46	ता.प्र.सं. 14 (क्र. 3803) 22.7.2009	प्रज्ञा सीड्स कंपनी महिदपुर एवं महावीज (महाप्रबंधक) द्वारा वर्ष 2005-06 में बीजो उत्पादन में अनियमितता किये जाने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही ।	परीक्षणाधीन है ।	उज्जैन संभाग की निजी बीज उत्पादक कंपनियों के बीज उत्पादन एवं बीज के अमानक नमूने पाये जाने के विरूद्ध उप संचालक कृषि द्वारा कार्यवाही के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक ई-1-बी/06/1253 दिनांक 23.।2.2006 से जाचं का गठन कर जांच कराई गई । विभागीय पत्र क्र.बी-10-24/07/14-2 दिनांक 21.07.2008 से जांच प्रतिवेदन संस्था को प्राप्त हुआ । तदनुसार संस्था के तीन अधिकारियों श्री प्रणय व्यास बीज प्रमाणीकरण अधिकारी श्री एस.के.दुबे उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं श्री चन्द्रशेखर गोखले उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के विरूत्र विभागीय जांच संस्थित की गई । विभागीय जांच अनुसार श्री प्रणय व्यास बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के विरूद्ध संस्थ्ज्ञा के आदेश क्रमांक 877/स्था/वि.जां./49/2004 दिनांक 23.02.13 से संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकी जाने की शास्ति जारी की गई । श्री एस.के;दुबे तत्कालीन उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी महिदपुर की सेवा की सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.20102 थी । संस्था के आदेश क्रमांक 4819/ स्था-2/विभा.जां./50/09-13 दिनांक 27.07.2013 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी जाने का निर्णय लिया गया । चूंकि निर्णय लिये जाने के पूर्व श्री दुबे अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके थे । इसलिये यह निर्णय प्रभावी नहीं हुआ । परन्तु श्री दुबे भविष्य में आरोप पत्र जारी होने की दिनांक 10.2.2009 से सेवानिवृत्ति	<u>कोई टिप्पणी नही ।</u>

					दिनांक 30.06.2012 तक मिलने वाले लाभ जैसे कि समयमान वेतनमान,पदोन्नति आदि से वंचित किया गया । श्री चन्द्रशेखर गोखले तत्कालीन उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी महिदपुर के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । विभागीय पत्र क्रमांक बी-10-24/2007/14-2 दिनांक 23 जुलाई,2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	47	ता.प्र.सं. 15 (क्र. 3681) 22.7.2009	जिला सतना में वर्ष 2008-2009 में अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत संकर धान बीज का फर्जी वितरण करने एवं राशि आहरण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1.जांच उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। 2. वर्ष 2008-09 में विभिन्न योजनाओं में समायोजित राशि की जांच की जा रही है जांच उपरांत दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी श्री अमिताभ तिवारी,तत्का.उप संचालक कृषि सतना के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर आदेश दिनांक 4.11.2011 द्वारा आयुक्त विभागीय जांच को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा श्री तिवारी पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण शासन आदेश क्रमांक एफ 4 ए/16/2011/14-1 दिनांक 15.08.2015 द्वारा श्री तिवारी को भविष्य के लिये सचेत करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 2858/1016/14-1 दिनांक 13 दिसम्बर,2016	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	48	ता.प्र.सं. 16 (क्र.1409) 22.7.2009	टीकमगढ़ के किसानों को बीज निगम से घटिया बीज दिये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	इस पर हम बराबर कार्यवाही करेंगे । बीज घटिया न जाये इसका पूरा परीक्षण किया जायेगा।	मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के प्रक्रिया केन्द्र कुण्डेश्वर जिला टीकमगढ़ द्वारा 34 कृषकों को गेहूं जी.डब्ल्यू 273 को आधार से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम दिया गया था। 30 कृषकों का बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मानक अनुरूप न पाए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था । अत: इन कृषकों से बीज का उपार्जन नहीं किया गया। केवल 04 कृषकों का बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा खेत पर मानक स्तर का पाया गया था। उनमें से 3 कृषकों ने निगत को बीज प्रदाय किया एवं एक कृषक द्वारा निगम को बीज प्रदाय नहीं किया गया। कृषकों को केवल प्रमाणित बीज ही वितरित किया गया। बीज निगम द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु दिनांक 09.10.2009 को पुन: निर्देश जारी किये गये है। चूंकि कार्यवही पूर्ण हो चुकी है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/51/2009/14-2 दिनांक 24.06.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप पाये गये कृषक के खेतों से बीज का उपार्जन मान्य किया गया। अत: 3 मानक अनुरूप बीज ही उपार्जित किया गया तथा मानक के अनुरूप जो बीज नहीं था उसे उपार्जित न करते हुए निगम द्वारा आगामी वर्ष में कृषकों को घटिया बीज नहीं दिया जाना	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

					सुनिश्चित किया गया । भविष्य के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम के संचालन में संलग्न समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को दिनांक 9.10.09 को निर्देश जारी किए गए जिससे किसानों के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसानों के हितो को ध्यान में रखा जा सकें । दोषी कर्मचारी के विरूद्ध मुख्यालय के आदेश क्रमांक 2797-98 दिनांक 10.07.12 के द्वारा क्षति की राशि की वसूली के आदेश जारी किए गए है । विभागीय पत्र क्रमांक 1410/1629/2019/14-1 दिनांक 6 अगस्त,2019 अद्यतन:- मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप पाये गये कृषकों के खेतों से बीज का उपार्जन मान्य किया गया । अत: मानक अनुरूप बीज ही उपार्जित किया गया तथा मानक के अनुरूप जो बीज नहीं था उसे उपार्जित न करते हुए निगम द्वारा आगामी वर्ष में कृषकों को घटिया बीज नहीं दिया जाना सुनिश्चित किया गया । दोषी कर्मचारी के विरूद्ध निगम मुख्यालय के आदेश क्रमांक 2797-98 दिनांक 10.07.12 के द्वारा क्षति की राशि की वसूली के आदेश जारी किये गये है । अद्यतन जानकारी की स्थिति में आदेश क्रमांक एचओ/प्रशा/30:83/805 दिनांक 01.05.2015 द्वारा श्री आर.एन.तोमर की अनिवर्य सेवानिवृत्ति पर देय अंतिम स्वत्वों से वसूली योग्य राशि रूपये 3,36,679/- की वसूली की जा चुकी है । कोई कार्यवाही शेष नहीं है । विभागीय पत्र क्रमांक 1241/937677/2022/ 14-1 दिनांक 2.11.2022	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	49	ता.प्र.सं. 19 (क्र. 3807) 22.7.2009	अमानक फर्टिलायजरों को नियुक्त करके मानक फर्टिलाईजर बनाकर किसानों को दिये जाने के संबंध में भारत सरकार का दिनांक 25 नवम्बर 2002 के पत्र की प्रति माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया जाना।	जी हां आपको जानकारी दे देंगे।	भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) नई दिल्ली का पत्र दिनांक 25 नवम्बर,2002 की छायाप्रति संलग्न है एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 धारा-23 की छायाप्रति संलग्न है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/58/2009/14-2</u> <u>दिनांक 3.3.2010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>
38.	50	ता.प्र.सं. 22 (क्र. 3863) 22.7.2009	कृषि उपज मंडी नागदा की फर्म के श्री रमेश चन्द्र मोहनलाल पोटवाल द्वारा किसानों की जमा राशि न देकर फरार होने पर उक्त फर्म से शेष राशि का किसानों को भुगतान।	शेष रूपये 7,07,290/- के भुगतान के लिये डिफाल्टर फर्म के भंडारित 1085 बोरे चना से 13.86 लाख की वसूली हेतु मंडी अधिनियम की धारा 61 के अधीन कार्यवाही गतिशील है।	फर्म रमेशचन्द्र मोहनलाल व्यातिकृमि के मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन नागदा में 1085 बोरे भंडारित चने के संबंध में मंडी अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत भू राजस्व की भांति प्रकरण दिनांक 13.3.09 को सचिव मंडी द्वारा माननीय न्यायालय तहसील नागदा में पंजीबद्ध कराया गया है। मंडी समिति नागदा द्वारा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में अपील की गई। जिसमें मंडी समिति के पक्ष में निर्णय देते हुये समिति को सुने जाने का आदेश दिया गया है। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय खाचरौद में विचाराधीन है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/63/2009/14-3</u> <u>दिनांक 24.06.2011</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	51	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1756) 22.7.2009	कृषि उपज मंडी समिति सनावद (खरगोन) में प्रार्थी इंदर पिता नत्थू ग्राम रूपखेडा के तुलावटी लायसेंस देने के आवेदन पर की गई कार्यवाही ।	जब भी नवीन तुलावटी अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी तब प्रार्थी के आवेदन पर विचार किया जावेगा ।	कृषि उपज मंडी समिति सनावद द्वारा श्री इंदर पिता नत्थू ग्राम रूपखेड़ा को तुलावटी की अनुज्ञप्ति (लायसेंस) दिनांक 05.01.2010 को प्रदान कर दी गई है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/27/2009/14-3 दिनांक 24.06.2011</u>	<u>कोई टिप्पणी नही ।</u>
40.	52	परि.ता.प्र.सं. 15 (क्र. 3137) 22.7.2009	राज्य कृषि विपणन बोर्ड के रिक्त पदों पर भर्ती ।	व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल को सीधी भर्ती के प्रस्ताव प्रेषित किये गये है । कार्यवाही मंडल में प्रक्रियाधीन है ।	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल को अधिकृत किया गया था । व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम मंडी बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने के फलस्वरूप उपयुक्त अभ्यार्थियों की काउन्सलिंग एवं चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पश्चात विभिन्न संवर्गो के कुल 634 नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/2/14-3 दिनांक 09.07.2012</u>	<u>कोई टिप्पणी नही ।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	53	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र.2671) 22.7.2009	कृषि उपज मंडी समिति कटनी में पदस्थ मंडी निरीक्षक श्री राजकुमार गुप्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही ।	श्री राजकुमार गुप्ता की मंडी समिति कटनी में पदस्थगी के दौरान प्राप्त शिकायतों की जांच उप संचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर से करायी जा रही है ।	श्री राजकुमार गुप्ता मंडी निरीक्षक कटनी के विरूद्ध विधानसभा तारांकित प्रश्न 2670 के प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में दर्शित परिशिष्ट 'अ' अनुसार 07 शिकायतों की जांच प्रचलित थी । उक्त परिशिष्ट के सरल क्रमांक 1,2,3 एवं 4 शिकायतों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत शिकायतें जांच में प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये है । सूची के सरल क्रमांक 5 एवं 6 शिकायतों के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पाई गई अनियमितता के लिये श्री राजकुमार गुप्ता (नीखरा) मंडी निरीक्षक की आदेश दिनांक 01.11.12 से दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई । सरल क्रमांक 7 शिकायत के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत आदेश दिनांक 3.3.10 द्वारा श्री राजकुमार गुप्ता का मंडी कटनी से मंडी समिति बिछिया स्थानांतरण किया जा चुका है । विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/1741/2013/14-3 दिनांक 18.07.2013	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	54	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 3408) 22.7.2009	राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर मंडियों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर मंडी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की बकाया वेतन राशि के संबंध में सभी संभागीय उप संचालकों से प्राप्त जानकारी अनुसार राशि रूपये 83,15,039/7 के बैंक ड्राफ्ट बनाया जाकर कार्यालयों दिनांक 30.03.2010 को भेज दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/140/2009/14-3 दिनांक 24.06.2011	कोई टिप्पणी नही।
43.	55	परि.ता.प्र.सं. 50 (क्र.3551) 22.7.2009	टीकमगढ़ जिले में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों / कर्मचारियों को क्रमोन्नति एवं समय मान वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही।	शेष के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जिले में पदस्थ समस्त पात्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लाभ दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8ए-17/2009/14-1 दिनांक 2 जुलाई 2010	कोई टिप्पणी नही।
44.	56	अता.प्र.सं. 45 (क्र.2922) 22.7.2009	गुना कृषि उपज मंडी सचिव श्री रामजी व्यास को मूल विभाग या (ए) क्लास की अन्य मंडी में भेजने हेतु कार्यवाही।	आदेश दिनांक 5.5.09 की मार्गदर्शी सिंद्धान्त अनुसार समग्र मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है।	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 1885-86 दिनांक 31.10.09 द्वारा श्री रामजी व्यास प्रतिनियुक्ति सचिव की सेवाएं उनके मूल विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को वापस की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/149/10/14-3 दिनांक 15.04.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	57	अता.प्र.सं. 49 (क्र. 3158) 22.7.2009	शिवपुरी जिला अंतर्गत कृषि उपज मंडी बदरवास मंडी में वर्ष 1 अप्रैल 2008 से प्रश्न दिनांक तक मंडी टेक्स की चोरी की प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है।	श्री हरिशंकर दुबे,मंडी सचिव बदरवास की शिकायत की जांच उपरांत कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 01.10.2009 को जारी किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/150/10/14-3 दिनांक 15.04.2010	कोई टिप्पणी नही।
46.	58	अता.प्र.सं. 57 (क्र. 3330) 22.7.2009	जबलपुर संभाग में संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड के रिक्त पद की पूर्ति।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	मंडी बोर्ड में संयुक्त संचालक के 12 पद स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध 09 पद पदोन्नति से एवं 03 पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में 03 संयुक्त संचालक आवश्यकतानुसार मुख्यालय में ही पदस्थ है। बोर्ड संवर्ग में 09 उप संचालक से संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति उपरांत संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी को जबलपुर संभाग में पदस्थ किया जा सकेगा। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/151/09/14-3 दिनांक 27.12.2010 अद्यतन :- आदेश दिनांक 04.01.2012 द्वारा एन.एस.पंवार संयुक्त संचालक का स्थानांतरण कर आंचलिक कार्यालय जबलपुर में पदस्थ किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/15-1/2009/3690 दिनांक 6 अगस्त,2019	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47.	59	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 184 दि.22.07.2009	**1.** जिला रायसेन में बीजग्राम योजना अन्नपूर्णा योजना सूरजधारा योजना तहत खाद्य बीज मिनिकिटस सबसीडी योजना एवं परीक्षण में हुई अनियमितताओं की जांच माननीय सदस्य की उपस्थिति में अधिकारियों से कराई जाना। **2.** अमानक स्तर का बीज और खाद्य की सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी जाना।	**1.** जी.हां.करा देगें। **2.** मैं जांच करा दूंगा। **3.** सूची में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।	1/ उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक 477-78 दिनांक 06.02.2010 से माननीय विधायक श्री प्रभुराम चौधरी जी को उर्वरक बीज नमूनों आदि की जानकारी प्रेषित की गई। 2/- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा द्वारा पत्र क्रमांक 990 दिनांक 18.02.2010 से उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रायसेन को अनुरोध किया गया कि दिनांक 21.02.2010 माननीय सदस्य को उपस्थित रहने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें। 3/- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक 602 दिनांक 19.02.2010 से माननीय विधायक महोदय को सूचना दी गई। 4/- दिनांक 21.02.2010 को माननीय विधायक महोदय उपस्थित नहीं हो सके। इस संबंध में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा द्वारा उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रायसेन को पत्र लिखा है एवं आगामी दिनांक निर्धारित करने हेतु निवेदन किया है। 5/ संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल ने पत्र क्रमांक 3685 दिनांक 26.11.2010 द्वारा माननीय विधायक महोदय को लिखकर सारी स्थिति दर्शाते हुए निवेदन किया कि आपकी उपस्थिति में जांच करने हेतु तिथि से अवगत कराया जावे।	कोई टिप्पणी नही।

					6/ उपरोक्त पत्र के पश्चात भी उनकी उपस्थिति में जांच की कोई तिथि निर्धारित नहीं हो सकी । 7/ संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण के संबंध में पुन: दिनांक 21.06.2011 को माननीय विधायक महोदय से उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला रायसेन के माध्यम से संपर्क कर तिथी आदि दिये जाने हेतु निवेदन किया । लेकिन उन्होंने अवगत कराया कि सूची आदि का उनके द्वारा अवलोकन कर लिया गया एवं वह इससे संतुष्ट है । माननीय विधायक जी के पत्र की छायाप्रति संलग्न है । विभागीय पत्र क्रमांक बी-20-69/2009/14-2 दिनांक 23 जुलाई 2015	

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>60</td>
<td>ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 710 दि. 23.7.2009</td>
<td>दमोह जिले के विकासखंड जबेरा एवं तेन्दूखेड़ा में बलराम तालाब योजना के अंतर्गत आनुपातिक दृष्टि से तालाबों का निर्माण किया जाना ।</td>
<td>अध्यक्ष महोदय के निर्देश :- माननीय मंत्रीजी श्री रत्नेश सालोमन जी आग्रह है कि आनुपातिक दृष्टि से उनके क्षेत्र में तालाब आप खुदवाए यह हमारी आपसे अपेक्षा है ।
मैंने प्रभारी मंत्री से निवेदन किया और प्रस्ताव दिया तो उन्होनों 100 का लक्ष्य बढ़ाया और उसमें मैंने कहा कि आप अपने लोगों को लाकर के उनको लाभ दिलाये ।</td>
<td>दमोह जिले में बलराम तालाब के लिये 100 अतिरिक्त लक्ष्य (भौतिक) एवं रूपये 34.20 लाख का आवंटन दिया गया था बिन्दुवार तालाबों की जानकारी निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th rowspan="2">विकास खंड</th><th rowspan="2">मा.विधायक द्वारा प्रस्तावित बलराम तालाबों की संख्या</th><th rowspan="2">परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति हेतु उ.स.कृ.को भेजे गये प्रकरण</th><th rowspan="2">कृषक द्वारा खनन कार्य प्रारंभ तालाब की संख्या</th><th colspan="2">तालाब</th></tr>
<tr><th>पूर्ण</th><th>अपूर्ण</th></tr>
<tr><td>जबेरा</td><td>13</td><td>12</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>तेंदूखेड़ा</td><td>14</td><td>12</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td></tr>
</table>
उपरोक्तानुसार पूर्ण तालाबों पर राशि रूपये 3.40 लाख एवं अपूर्ण कार्यो पर राशि रूपये 3.00 लाख का अनुदान भुगतान कृषकों को किया गया ।
<u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/195/09/14-3</u></td>
<td><u>कोई टिप्पणी नही ।</u></td>
</tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	924	ता.प्र.सं.3 (क्र. 2702) 29.7.2009	आत्मा परियोजना अन्तर्गत पी.पी.टी.के तहत एन.जी.ओ.आई. सेव द्वारा रीवा तिले के कृषकों के साथ की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्यवाही संभव होगी।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को रीवा जिले में व्यय की गई राशि का भुगतान किया गया। दिनांक 31.07.2010 को आयोजित आत्मा IDWG की बैठक में आईसेप संस्था से MOU समाप्त करने का निर्देश दिया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 1971/1669/2011/14-2 दिनांक 23.07.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	925	ता.प्र.सं16 (क्र.4536) 29.7.2009	कटनी जिले की कटनी फल सब्जी में तैनात कर्मचारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही ।	शिकायत की जांच की जा रही है।	उप संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर को जांच सौंपी गई। जांच कार्यवाही प्रचलित है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 1971/1669/2011/14-2 दिनांक 23.07.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> कृषि उपज मंडी समिति कटनी की शिकायती प्रकरण में विस्तृत जांच हेतु आदेश दिनांक 6.9.2011 से पांच सदस्य दल गठित किया गया। जांच दल का समग्र रूप से एकजाई प्रतिवेदन दिनांक 19.07.12 से प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत 18 अधिकारी / कर्मचारियों में से 13 अधिकारी / कर्मचारियों को आदेश दिनांक 1.11.12 से दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई है शेष श्री आर.डी.तिवारी तत्कालीन सचिव श्री कोमल रामसेन श्री गयाप्रसाद भट्ट श्री विनोदकुमार सोनी एवं श्री संतोष कुमार यादव सहायक उप निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-20/185/2009/14-3 दिनांक 26.08.2011</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	926	ता.प्र.सं.6 (क्र.1104) 29.7.2009	दतिया जिले के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी श्री घनश्याम शर्मा के विरूद्ध ब्लाक दतिया ग्राम निचरौली में परकोलेशन टैंक निर्माण में की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच में दोषी पाये जाने पर विभागीय जांच संस्थित कर कार्यवाही।	श्री घनश्याम शर्मा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दतिया प्रारंभिक जांच में दोषी पाये जाने पर विभागीय जांच संस्थित की जाकर प्रक्रियाधीन है।	श्री घनश्याम शर्मा तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दतिया के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में विभागीय आदेश दिनांक 12.11.2010 के संयुक्त संचालक कृषि ग्वालियर को जांचकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। विभागीय जांच का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8ए-19/2009/14-1 दिनांक 29.06.2011 अद्यतन :- श्री घनश्याम शर्मा तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी दतिया के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4 ए /06/2008/14-1 दिनांक 12.11.2010 के द्वारा संयुक्त संचालक कृषि ग्वालियर को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4ए/06/2008/14-1 दिनांक 3.8.2013 द्वारा श्री घनश्याम शर्मा सेवानिवृत्त सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण को बिना किसी दंड के समाप्त किया गया है। कार्यवाही पूर्ण। विभागीय पत्र क्रमांक 8ए-19/2009/14-1 दिनांक 24.12.2014	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	927	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.3687) 29.7.2009	वर्ष 2007 से 31.05.09 तक कटनी जिले के बाहर एवं राज्य के बाहर बेचे गये उर्वरक के दोषी व्यापारी का लायसेंस निरस्त कर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी ने अपने पत्र क्रमांक/उर्वरक/विस.09-10/1290 दिनांक 21.07.2009 के द्वारा कारण बताओं नोटिस के प्रेषित उत्तर एवं जांच समिति के अभिमत के आधार पर संबंधित विक्रेता संस्थान द्वारा वर्ष 2007 से 31.05.2009 तक दूसरे जिलों के फुटकर विक्रेताओं को ''ओ'' फार्म जारी कर उर्वरक विक्रय का व्यापार की जानाकरी न होने (अनभिज्ञता) के कारण किया गया है । संबंधित विक्रेता संस्थान द्वारा व्यापार संबंधी तथ्यों को छुपाया नहीं गया है । उप संचालक कटनी ने उर्वरक गुण नियंण्ण आदेश के तहत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 25.07.2009 के द्वारा संबंधित विक्रेता संस्थान को भविष्य हेतु जिले के बाहर उर्वरक न व्यापार करने की अंतिम चेतावनी देकर मुक्त किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/83/2009/14-3 दिनांक 8.3.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	928	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र.4149) 29.7.2009	कृषि उपज मंडी इटारसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।	मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ/5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 की कंडिका क्रमांक 5.01 एवं समसंख्यक परिपत्र क्र./एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 8 सितम्बर,2008 अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जिसमें मंडी समिति इटारसी के कर्मचारी सम्मिलित है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/186/2009/14-3 दिनांक 26.08.2011 अद्यतन :- कृषि उपज मंडी समिति इटारसी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिये उपयुक्त पाया गया उन्हें नियमित किया गया और आदेश दिनांक 8.7.22 को प्रसारित किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/186/2009/14-3 दिनांक 27.12.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	929	परि.ता.प्र.सं.61 (क्र.4639) 29.7.2009	**इंदौर संभाग के अंतर्गत मंडी अधिनियम की धारा 54 एवं 55 के अंतर्गत मंडी पदाधिकारियों के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही ।**	**मंडी समिति सनावद के पदाधिकारियों के विरूद्ध धारा 54 एवं 55 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।**	कृषि उपज मंडी समिति सनावद के तत्कालीन अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं कृषक सदस्यों को नियमों के विपरित कार्य करने में की गई अनियमिताओं के लिये कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था । जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2.08.2011 से मंडी अधिनियमत की धारा 55 के अंतर्गत संबंधितों को आगामी मंडी निर्वाचन हेतु छः वर्ष के लिये अयोग्य घोषित करने के साथ ही फर्म आर्शीवाद इण्डस्ट्रीज सनावद से एक माह की समयावधि में बकाया मंडी फीस की वसूली के निर्देश दिये गये । इस अवधि में बकाया मंडी फीस वसूल न होने की दशा में मंडी फीस की वसूली के निर्देश दिये गये । इस अवधि में बकाया मंडी फीस वसूल न होने की दशा में मंडी के उक्त पदाधिकारियों से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 58 के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किये गये है । विभागीय पत्र क्रमांक डी-20/2324/2277/2012 /14-3 दिनांक 26.10.2012	**कोई टिप्पणी नही ।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55.	930	परि.ता.प्र.स. 64 (क्र.4703) 29.7.2009	श्री मुन्नालाल जैन उप संचालक कृषि (स्था) के विरूद्ध राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को प्राप्त शिकायत पर ब्यूरों द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 20.10.08 पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके निष्कर्ष पर कार्यवाही निर्भर है।	जाँच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायत उल्लेखित बिन्दुओं में कोई सत्यता नहीं पाई गई है। शिकायत नस्ती योग्य है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को विभागीय ज्ञाप दिनांक 13.01.2010 द्वारा भेजा गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए-18/2009/14-1 दिनांक 8 जुलाई 2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	931	परि.ता.प्र.सं.97 (क्र.4919) 29.7.2009	दमोह एवं टीकमगढ़ जिले में बलराम तालाब योजना में स्वीकृत तालाबों के निर्माण की राशि का किसानों को भुगतान।	जिन किसानों ने तालाब का निर्माण 31 मार्च 2009 के पश्चात प्रश्न दिनांक तक करा लिया है उनकों भुगतान माप व मूल्यांकन के उपरांत विधिवत कर दिया जावेगा।	दमोह जिले में 24 कृषकों में से 13 कृषकों को दिनांक 31.03.2009 के पश्चात उनके द्वारा बलराम तालाब का कार्य पूर्ण करने एवं मूल्यांकन के पश्चात भुगतान किया गया है शेष 11 कृषकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुदान राशि का भुगतान संभव नहीं है। टीकमगढ़ जिले में बलराम ताल योजना अंतर्गत स्वीकृत तालाबों का निर्माण 31.03.2009 के पश्चात 39 कृषकों के द्वारा किया गया। जिनकों मूल्यांकन अनुसार अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। अपूर्ण तालाब निर्माण कार्य कृषकों द्वारा पूर्ण करने के उपरांत ही अनुदान भुगतान किया जा सकेगा। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/160/09/14-3 दिनांक 13.12.2010 अद्यतन :- उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक /मू.ल./वि.स./2014-15/4719 दि. 22.11.14 के अनुसार उप संभाग टीकमगढ़ अंतर्गत ऐसे किसी भी कृषक का प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है। विभागीय पत्र क्र. बी-10-160/09/14-3/3650 दिनांक 5.3.2019	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	932	परि.ता.प्र.सं.98 (क्र.4920) 29.7.2009	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28.4.08 को टीकमगढ़ जिले के प्रावास के दौरान कृषि उपज उप मंडी पलेरा को पूर्ण मंडी का दर्जा दिये जाने की घोषण का क्रियान्वयन।	सभी औपचारिकताओं की पूर्ति होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर अमल करते हुए पलेरा को पूर्ण मंडी का दर्जा दिया जा सकेगा।	पलेरा उप मंडी को पूर्ण मंडी बनाये जाने के लिये प्रांगण से लगी हुई शेष 5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव पर राज्य शासन राज्य विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र दिनांक 7.10.2011 से कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को दी गई है। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का पत्र दिनांक 25.01.2012 अधिसूचना जारी कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पलेरा उपमंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा दिये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/12/14-3 दिनांक 9.7.2012	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	933	अता.प्र.सं.33 (क्र.3689) 29.7.2009	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कटनी द्वारा वर्ष 2004 से 2009 की अवधि में दैनिक वेतन पर बिना शासन की अनुमति के वेतन आहरण किये जाने की जांच एवं नियम विरूद्ध आहरण करने वाले दोषी अधिकारियों से भुगतान की गई राशि की वसूली।	प्रकरण में परीक्षण किया जा रहा है।	संचालनालयीन पत्र क्रमांक अ-2-6/स्था/14-09/6115 दिनांक 9.9.09 से संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलुपर संभाग जबलपुर को प्रकरण में जांच कर अभिमत चाहा गया। संयुक्त संचालक जबलपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नाधीन अवधि 2004 से 2009 तक किसी भी व्यक्ति को दैनिक वेतन पर कार्य पर नहीं लगाया गया। शासकीय कार्य आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूरी यथा वाहन चालक कार्यालय की साफ-सफाई कम्प्यूटर टायपिंग कार्य कराते हुए मजदूरी मद से हस्तप्राप्ति से भुगतान किया गया। चूंकि उक्त कार्यालय में किसी भी दैनिक वेतन भोगी को नहीं लगाया गया तथा शासकीय कार्य संपादन हेतु लगाये गए मजदूरों को नियमानुसार भुगतान कराया गया। अत: कोई दोषी नहीं पाया गया। वसूली का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। जांच प्रतिवेदन से शासन सहमत है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए /22/09/14-1 दिनांक 4.3.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	934	अता.प्र.सं.41 (क्र.3946) 29.7.2009	विगत 12-14 वर्षो से गृह जिले रीवा के संभागीय कार्यालय में पदस्थ सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी का रीवा जिले से बाहर स्थानांतरण एवं इस अवधि में उनके द्वारा कराये गये कार्यो में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही निर्भर है।	श्री आर.आर.सिंह सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4 ए - 27/2010/14-1 दिनांक 15.11.2010 के द्वारा निलंबित किया गया है । विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 4 ए -27/2010/14-1 दिनांक 15.11.2010 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है । आरोपों का उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध विस्तृत विभागीय जांच का निर्णय लिया जाकर जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई है । विभागीय जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत गुण दोष के आधार पर प्रकरण में निर्णय लिया जावेगा । विभागीय पत्र क्रमांक एफ 8 ए-20/2009/14-1 दिनांक 25 नवम्बर,2011 अद्यतन :- जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है । वसूली के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने पर कार्यवाही संभव होगी । प्रकरण में वसूली की स्थिति स्पष्ट होने पर निर्णय लिया जावेगा । विभागीय पत्र क्रमांक 1466/3883/2016/14-1 दिनांक 20.08.2019 अद्यतन :- (1) संचालनालय के आदेश क्रमांक /अ-1-ब/स्था/स्थानां/10/5552 दि. 07.09.10 द्वारा श्री रविराज सिंह बघेल को प्रशासनिक आधार पर कार्यालय प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र सिंगरौली में पदस्थ किया गया।	कोई टिप्पणी नही।

					(2) श्री आर.आर.सिंह् तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी रीवा के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण के समस्त पहलूओं पर विचार करने के उपरांत प्रचलित विभागीय जॉंच प्रकरण को विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4ए /27/2010/14-1 दिनांक 5.12.2019 द्वारा बिना किसी दंड के समाप्त किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 117/3883/2016/14-1 दिनांक 03.02.2022	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.	935	ता.प्र.सं.83 (क्र.4807) 29.7.2009	सागर संभाग की मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जिसमें मंडी समिति सागर के कर्मचारी सम्मिलित है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/168/2009/14-3 दिनांक 26.8.2011 अद्यतन :- सागर संभाग की मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिये उपयुक्त पाया गया उन्हें नियमित किया गया और दिनांक 08.07.2011 को प्रसारित किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक डी-10/168/009/14-3 दिनांक 27.12.2011	कोई टिप्पणी नही।
61.	936	अता.प्र.सं.100 (क्र.4905) 29.7.2009	वर्ष 2008-09 में रायसेन जिले में पाले से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान।	वर्ष 2008-09 की प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।	वर्ष 2008-09 की प्रीमियम अनुदान राशि का भुगतान दिनांक 10.09.2010 को किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-10/80/2009/14-2 दिनांक 8.7.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	937	परि.ता.प्र.सं.94 (क्र.4901) 29.7.2009	छतरपुर जिले में तालाबों की खुदाई में अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच परिणाम प्राप्त होने पर दोषियों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही संभव है।	कलेक्टर छतरपुर के द्वारा अपने स्तर से राजस्व अधिकारियों से जांच करवाई एवं दोषी निम्नानुसार अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। 1. श्री बी.पी.सूत्रकार तत्कालीन सहायक भू.स.अ. छतरपुर। 2. श्री गणेश सिंह र्स्वोयर एवं प्रभारी कृषि विकास अधिकारी बिजावर। 3. श्री एच. डी. जाटव सर्वेयर इकाई बिजावर। 4. <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-164/2009/14-3 दिनांक 4.4.2013</u> <u>अद्यतन :-</u> शासन के आदेश क्रमांक एफ 4 ए / 48*4010/14-1 दिनांक 18.06.2015 द्वारा श्री बी.पी.सूत्रकार तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी छतरपुर की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का अंतिम निर्णण लिया गया एवं संचालनालयीन आदेश क्रमांक अ-5-बी(2)30-2014/225-226 दिनांक 4.2.2017 द्वारा श्री एच.डी.जाटव (सेवानिवृत्त) सर्वेयर के विभागीय जांच प्रकरण में आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण प्रकरण बिना किसी दंड के समाप्त किये जाने का अंतिम निर्णय लिया गया है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक डी-10-164/2009/14-3 दिनांक 4.12.2017</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>795</td><td>परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.1034) दि.13.07.2009</td><td>मंदसौर जिले में डोडाचूरा से बताया राशि की वसूली की जाना ।</td><td>जी.हॉं बकायादारों से बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत की जा रही है ।</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">मंदसौर जिले में डोडाचूरा ठेकेदारों पर वर्षवार मूल बकाया राशि शेष बकाया राशि वर्तमान बकाया राशि की जानकारी</th></tr>
<tr><th>नाम बकायादार/ठेकेदार</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>वित्तीय वर्ष उपरांत मूल बकाया/अवशेष राशि</th><th>आज दिनांक तक वसूल की गई राशि</th><th>वर्तमान में अवशेष राशि</th></tr>
<tr><td>श्री सुरेश चन्द्र भंवरलाल नलवाया</td><td>1999-2000</td><td>22,29,511/-</td><td>782611/-</td><td>1446900/-</td></tr>
<tr><td>श्री मोहनलाल गणेशराम शर्मा</td><td>2001-2002</td><td>1,64,06,500/-</td><td>2427060/-</td><td>13979440/-</td></tr>
<tr><td>श्री पुष्परगिरी पिता बाबूगिरी</td><td>2001-2002</td><td>23,37,500/-</td><td>1431/-</td><td>2386069/-</td></tr>
<tr><td>श्री दिलीप कुमार रतनलाल</td><td>2004-2005</td><td>5,11,000/-</td><td>0</td><td>5,11,000/-</td></tr>
<tr><td>श्री आरिफ पिता सलीम खां</td><td>2004-2005</td><td>24,00,000/-</td><td>0</td><td>24,00,000/-</td></tr>
<tr><td>श्री विष्णुकुमार रामनारायण</td><td>2004-2005</td><td>6,25,000/-</td><td>0</td><td>6,25,000/-</td></tr>
<tr><td>श्री शैलेन्द्र बद्रीलाल शर्मा</td><td>2005-2006</td><td>2,03,56,875/-</td><td>10880000/-</td><td>94,76,875/-</td></tr>
<tr><td>श्री शंकरलाल तुलसीराम पाटीदार</td><td>2005-2006</td><td>2,31,26,500/-</td><td>6268000/-</td><td>16858500/-</td></tr>
<tr><td>श्री महेन्द्र</td><td>2005-</td><td>53,50,000/-</td><td>0</td><td>53,50,000/-</td></tr>
</table>
</td><td>कोई टिप्पणी नही ।</td></tr>
</table>

					<table><tr><td>औंकरसिंह पंजाबी</td><td>2006</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>योग</td><td></td><td>7,33,92,886/-</td><td>2,03,59,102/-</td><td>5,30,33,784/-</td></tr></table> मंदसौर जिले में डोडाचूरा ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी मंदसौर / अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) जिला मंदसौर द्वारा की जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक बी-15-13/2009///पांच दिनांक 8.2.2017	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	796	ता.प्र.सं.10 (क्र.437) दि.20.07.2009	वर्ष 2008-09 में जबलपुर में शराब के ठेके की निविदा में अनियमितता से राजस्व की क्षति एवं निविदा फार्म में व्हाइटनर लगाने की जॉंच एवं कार्यवाही।	इसकी जॉंच करा लेंगे अगर इसमें व्हाईटर लगाकर चेंज किया गया होगा तो उसकी जरूर कार्यवाही की जाएगी।	वर्ष 2008-09 में जबलपुर नगर में शराब के ठेके की निविदा में अनियमितता से राजस्व की क्षति के संबंध में विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में मंदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु जबलपुर नगर की विदेशी मदिरा दुकान तुलाराम चौक में कुल 07 टेण्डर तथा भनतलैया समूह में कुल 02 टेण्डर प्राप्त हुये थे। उक्त प्राप्त टेण्डरों मे से विदेशी महिरा दुकान तुलाराम चौक में उच्चतम आफर श्रीमती बिलकीस दुबे पति श्री मनीष दुबे द्वारा रूपये 87,33,289/- का एवं देशी मदिरा दुकान भातलैया समूह में उच्चतम आफर श्री रमेश कुमार पहारिया को रूपये 1,84,80,143/- का प्राप्त हुआ था। शासन निर्देशानुसार टेण्डर में अंकित उक्त उच्चतम आफर को जिला समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकारी से वाईटनर लगाकर राशि परिवर्तित नहीं की गई है। जिससे शासन को किसी भी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं हुई है। किसी के विरूद्ध कार्यवाही शेष नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक 480/2020/पांच दिनांक 7 फरवरी,2020	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	797	ता.प्र.सं.14 (क्र.1328) दि.20.07.2009	परासिया विधानसभा क्षेत्र में आवंटित स्थान से हटकर संचालित शराब की दुकानों की यथास्थान स्थापित किया जाना।	आगामी निष्पादन वर्ष 2010 -11 के पूर्व उक्त दुकानों को यथा घोषित स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगा। यह प्रकरण कलेक्टर महोदय के पास भेजदेंगे । वह जॉंच कर लेंगे और जॉंच में जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे ।	परासिया विधान सभा क्षेत्र में आवंटित स्थान से हटकर संचालित शराब की दुकानों को यथास्थान स्थापित करने के संबंध में कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के माध्यम से नियमों के तहत दुकान की अवस्थिति के संबंध में जांच कराई गई। देशी मदिरा दकान भंडारिया को स्थानीय निवासियों की शिकायत के मद्देनजर नियमों के तहत 01 अप्रैल 2010 से नवीन आपत्ति रहित स्थान पर श्री रोहित वाल्मीकि के भवन वार्ड नं. 19 भंडारिया में अवस्थित कराकर संचालित किया गया। जो वर्तमान में निरन्तर उपरोक्त वार्ड में संचालित ह विभागीय पत्र क्रमांक 480/2020/पांच दिनांक 7 फरवरी,2020	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	798	परि.ता.प्र.सं.112 (क्र. 3492) दि. 20.07.2009	बैतूल नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले तीन वर्षो के अन्दर रजिस्ट्री के लिये क्रय स्टाप ड्यूटी लिये जाने की शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।	दोषियों से राशि वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।	बैतूल नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अतर्गत पिछले वर्षो के अंदर रजिस्ट्री के लिये क्रय स्टाम्प ड्यूटी के लिये क्रय स्टाम्प ड्यूटी की शिकायत की जॉच के संबंध में विभाग द्वारा 08 प्रकरणों में 07 प्रकरणों में पक्षकारों से 22.34 लाख वसूल कर वसूली पूर्ण की गई। शेष 01 प्रकरण में आदेशित राशि रूपये 3.46 लाख में से 1.98 लाख की आंशिक वसूली की गई। शेष राशि रूपये 1.48 लाख की वसूली की कार्यवाही जारी है। विभागीय पत्र क्रमांक 480/2020/पांच दिनांक 7 फरवरी,2020	कोई टिप्पणी नही।
5.	799	अता.प्र.स.1 (क्र.6) दि.20.07.2009	मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में वित्तीय वर्ष 200506,2006-07,2007-08 में हुई अनियमितताओं पर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की दर्ज आपत्तियों पर कार्यवाही।	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण कर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 की आपेक्षित कंडिकाओं में रूपये 1,33,08,786/- की वसूली हुई है तथा रूपये 1,26,38,562/- वसूली हेतु शेष है। वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 की आपेक्षित कंडिकाओं में रूपये 4,54,72,320/- की वसूली हुई है तथा रूपये 47,82,16,483/- वसूली हेतु शेष है वसूली कार्यवाही प्रचलन में है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की आपेक्षित कंडिकाओं में रूपये 50,42,550/- की वसूली हुई है तथा रूपये 81,96,804/- की वसूली हेतु शेष है। वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 15-30/2011/2/पांच दिनांक 23.01.2013	कोई टिप्पणी नही।

6.	800	अता.प्र.सं.2 (क्र.104) दि.20.07.2009	वाणिज्य कर विभाग में वित्तीय वर्ष 2005-06,2006-07,2007-08 को समाप्त हुए वर्षो में दवाईयों से वाणिज्यकर की वसूली एवं कर निर्धारण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दर्ज की की गई आपत्तियों पर कार्यवाही।	नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण कर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	वाँछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में इस प्रारूप के साथ संलग्न है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से संबंधित आडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी (तालिका नीचे)	कोई टिप्पणी नही।

क्र.	कंडिका क्रमांक	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्रमांक/विधान/ अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम एवं पद	निकाली गई अति मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही की जानाकारी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.2.9	मेसर्स एस.एम.डायकेम प्रा.लि.विदिशा प्रा.प्रकरण क्रमांक 281/2 एवं केन्द्रीय प्रकरण क्रमांक 156/02 अवधि 2001-02	श्री आर.एस.मेहरा सहायक आयुक्त	6369727.00	2786756.00	0.00	अपर आयुक्त द्वारा निगरानी की सुनवाई में प्रकरण पुन: कर निर्धारण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । प्रत्यावर्तन के पश्चात किये गये कर निर्धारण में रूपये 2786756/- कर निरूपित किया गया । जिसकी वसूली कर ली गई है। कोई बकाया शेष नहीं।
2	2.5	मेसर्स हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्ट लि.ग्वालियर प्रांतीय एवं केन्द्रीय अवधि 2000-01 एवं 2002-02 आदेश दिनांक 20.06.2006 प्रांतीय वर्ष 2000-01	श्री डी.एस. धुर्वे सहायक आयुक्त	7065828.00	7065828.00	0.00	प्रकरण में व्यवसाई को कर मुक्ति का प्रमाण पत्र जारी हो गया है । अत: कोई बकाया शेष नहीं है।
3	2.8	मेसर्स संगम एजेन्सी इन्दौर प्रांतीय प्र.क्र.1/06 अवधि 1999-2000	श्री के.एस. नावडे वाणिज्यिक कर अवधिकारी इन्दौर वृत्त-3	111190.00	50500.00	60690.00	अचल संपत्ति कुर्की की जाकर नीलामी की कार्यवाही जारी है।
4	2.9	मेसर्स वायर इंडिया प्रा.लि.ग्वालियर प्रवेशकर प्रकरण क्रमांक 636/2000	श्री पी.एल.गोहिया सहायक आयुक्त	146610.00	14661.00	0.00	चालान क्रमांक 96767 दिनांक 17.12.2012 से जमा । प्रकरण में कोई अतिरिक्त मांग शेष नहीं है।
5	2.9	मेसर्स आदिनार्थ टेडर्स मुरैना प्रवेशकर प्रकरण अवकध 2001-02 एवं 01.04.02 से 31.10.02 तक	श्री व्ही.एस. कनेल सहायक आयुक्त (स्वर्गवास)	266294.00	37600.00	228694.00	संभागीय उपायुक्त ग्वालियर संभाग-2 के ज्ञाप क्रमांक 2450 दिनांक 2.7.2014 के अनुसार व्यवसायी द्वारा

							मध्यप्रदेश अपीलेट बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।
6.	2.10	मेसर्स गोमती इंटर प्राईजेस बालाघाट छिन्दवाडा प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 72/02 अवधि 20001-02	श्री ए. किसपोट्टों सहायक आयुक्त	529369.00	0.00	529369.00	व्यवसायी की ओर वर्ष 2001-02 की बकाया राशि 529369.00 है । व्यवसायी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दर्शाया गया है कि वे एल.एंड टी. सीमेन्ट क्लब भोपाल के सदस्य है । जिसका क्रमांक 44 है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.19189/03 एवं 19158 /03 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए.क्रमांक 325/03 एवं 578/02 में दिनांक 15.09.2003 को पारित स्थगन आदेश को दिनांक 13.1.2005 से निरंतर प्रभावशील किया गया । अत: उक्त स्थगन आदेशानुसार आगामी आदेश पर्यन्त वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।
		मेसर्स फेयरडील टेडर्स छिन्दवाडा प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 1/02 अवधि 2001-02	श्री ए. किसपोट्टों सहायक आयुक्त	440311.00	0.00	440311.00	व्यवसायी की ओर वर्ष 2001-02 की बकाया राशि 440311.00 है । मुख्यालय के ज्ञाप क्रमांक 1444/03/28/दो/1533 इन्दौर दिनांक 26.7.2004 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.क्रमांक 19189/03 एवं 19151/03 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए.क्र.325/03 एवं 578/02 में दिनांक 15.03.2003 को पारित स्थगन आदेश को दिनांक 13.1.2005 से निरंतर

							प्रभावशील किया गया है। उक्त स्थगन आदेश अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।
योग				14929329.00	10087294.00	1259064.00	

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 से संबंधित आडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक	कंडिका क्रमांक	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्रमांक/विधान/ अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम एवं पद	निकाली गई अति मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही की जानाकारी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.2	मेसर्स विमकों स्लीपर प्रा.लि. खंडवा प्रा. प्रकरण क्रमांक 24/03 अवधि 2002-03	श्री एम.एस. मरकाम सहायक आयुक्त	4402384.00	4402384.00	0.00	कोई बकाया शेष नहीं है।
2	2.2	मेसर्स डिजाईन ऑटो सिस्टम इंदौर प्रांतीय प्र.क्र.190/03 अवधि 2002-03	श्री आर.एस. अरोरा सआ	2464782.00	0.00	2464782.00	अचल संपत्ति कुर्क गई है। नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है।
3	2.2	मेसर्स पवन इंडीस्ट्रीज मुरैना प्रा.प्र.क्र.155/03 अवधि 2002-03	श्री व्ही.एस.कनेल सहायक आयुक्त	345685.00	345685.00	0.00	धारा 28(1) के तहत दिनांक 24.08.07 को आदेश पारित किया जाकर 345685 कर एवं शास्ति 345685 कुल 691370 की अतिरिक्त मांग निकाली गई। अपर आयुक्त द्वारा पारित निगरानी आदेश दिनांक 16.07.08 के अनुसार प्रकरण पुन: प्रत्यावर्तित किया गया। पुन: पारित आदेश दिनांक 14.12.10 में कर की राशि 345685 को यथावत रखते हुए शास्ति समाप्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 02.05.12 को निरस्त की गई। अतिरिक्त मांग के विरूद्ध 34590 जमा किए गए । संभागीय

							उपायुक्त ग्वालियर संभाग 2 के ज्ञाप क्रमांक 2450 दिनांक 2.7.2014 के अनुसार शेष राशि चालान क्रमांक 49 /29.01.12 रूपये 62300/- दिनांक 31.1.13 रूपये 24900/- जमा किये गये । प्रकरण में कोई मांग शेष नहीं है।
4	2.2	मेसर्स बुरहानी ट्रेडर्स नलखेड़ा उज्जैन प्रा.प्र.क्र. 70/02 अवधि 2001-02 एवं प्र.क्र. 51./ 01 अवधि 2000-01	श्री एस.के. गुप्ता सहायक आयुक्त	559946.00	0.00	529946.00	माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रकरण स्थगन प्राप्त है।
5	2.4	मेसर्स हाटलाईन टलीटूयब कम्पोनिन्टस ग्वालियर संभाग -1 प्रा.एवं के. प्रकरण अवधि 2002-03	श्री के. एन. मीणा सहायक आयुक्त	4611641.00	0.00	4611641.00	संभागीय उपायुक्त वा.क.ग्वालियर संभाग -1 के ज्ञाप क्रमांक 2014-15 ग्वालियर दिनांक 5.7.2014 के अनुसार प्रकरण में वसूली हेतु रिक्वीजीशन सभा.उपा.वा.कर संभाग-2 ग्वालियर के माध्यम से भिण्ड वृत्त को भेजी गई है । भिण्ड वृत्त द्वारा व्यवसाई की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है । प्रकरण बी.आई.फ.आर.में लंबित है । पंजाब नेशपल बैंक द्वारा संपत्ति कुर्क की गई । पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम प्रभारं संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया था।
6	2.5	मेसर्स लांग लाईफ रिट्रेड प्रा.लि. भोपाल वृत्त -1 प्रकरण क्रमांक 5/02 अवधि वर्ष 2001-02	श्री एस. सी. मेहता वाणिज्यिक कर अधिकारी	90120.00	90120.00	0.00	कोई बकाया शेष नहीं है ।
		योग		**12444558.00**	**4838189.00**	**7606369.00**	

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 से संबंधित ऑडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी

क्र.	कंडिका क्र.	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्र./विधान/अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम व पद	निकाली गई अति. मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.3	मेसर्स त्रिवेणी सिन्टान इंटरनेशनल इन्दौर संभाग-3 प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 73/04	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	323608.00	323608.00	0.00	कोई राशि शेष नहीं है।
2.	2.3	मेसर्स पूजा फूडस गुना ग्वालियर संभाग-2 प्रांतीय प्र.क्र.60 /40 केन्द्रीय प्र.क्र.60 – ए/04 अवधि 03-04	श्री के.पी. पाण्डेय वा.क.अ.गुना	323608.00	323608.00	0.00	कोई राशि शेष नहीं है।
3.	2.8	मेसर्स मनीष इलेक्ट्रिकल्स ग्वालियर प्रांतीय प्र.क्र.189/04 अवधि 2003-04	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त	946356.00	881766.00	0.00	निगरानी आदेश दिनांक 19.09.2007 में 64590 छूट प्रदान की गई शेष वसूली हो चुकी है कोई बकाया शेष नहीं है।
4.	2.8	मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि.ग्वालियर प्र.क्र.230/2000(16/4 रिमाण्ड) अवधि 1999-2000	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त	8000044.00	-	8000044.00	संभागीय उपायुक्त वा.क.ग्वालियर संभाग-1 के ज्ञाप क्रमांक वाक/उपा /1/ विधानसभा/ 2014 -15 ग्वालियर दिनांक 20.11.2014 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर से प्रकरण में दिनांक 28.02.2008 को स्थगन आदेश दिया गया है। न्यायालय के समक्ष पिछली तिथी दिनांक 30.06.2014 नियत थी। एवं प्रकरण लंबित है।
5	2.8	मेसर्स इण्डेग रबर लि.ग्वालियर प्रांतीय प्र.क्र.147/04 अवधि 03.04	श्री आर.पी.एस, जादौन सहायक आयुक्त	3028505.00	-	3028505.00	संभागीय उपायुक्त वा.क. ग्वालियर संभाग -1 के ज्ञाप क्रमांक वाक/उपा/1 /विधानसभा / 2014-15 ग्वालियर दिनांक

							20.11.2014 के अनुसार प्रकरण में अपीलीय बोर्ड में लंबित है।
6	2.13	मेसर्स फेमस स्टील इन्दौर वृत्त -5 प्रांतीय प्र. क्र. 171/04 अवधि 2003-04	श्री बी.जी.चौरे वा.के.अ. इन्दौर वृत्त’5	102005.00	204010.00	0.00	आक्षेप अनुसार आरोपित कर एवं शास्ति रूपयें 204010.00 चालान द्वारा जमा हो चुके है । कोई बकाया शेष नहीं है।
7	2.15	मेसर्स तुलसी राम चौकसे ठेकेदार परासिया छिन्दवाड़ा प्रांतीय प्र.क्र. 159/03 अवधि 2002-03	श्री पी.के. पाण्डेय वा.क.अ.	90142.00	90142.00	0.00	प्रकरण में कोर्ह राशि बकाया नहीं है।
8.	2.15	मेसर्स जगदीश टी डिपों मंदसौर,रतलाम प्रांतीय प्र.क्र.122/00 अवधि 1999-2000 एवं 2000-2001	श्री एस.के. जैन वा.क.अ.	103373.00	103373.00	0.00	प्रकरण में कोई बकाया शेष नहीं है।
9.	2.15	मनीष सेल्स ग्वालियर प्रांतीय अवधि 2000-01 एवं 2003-04	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त ग्वालियर	562220.00	562220.00	0.00	प्रकरण में कोई बकाया शेष नहीं है।
10	2.17	मेसर्स राजश्री प्लास्टीवुड इन्दौर केन्द्रीय प्र.क्र. 126/03 अवधि 2002-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	6936091.00	0.00	6936091.00	न्यायालय के आदेश दिनांक 2.4.09 से वसूली स्थगित।
11.	2.17	मेसर्स मधु एल्युमिनियम प्रा.लि. इन्दौर केन्द्रीय प्र.क्र.49 /02 अवधि 2002-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	62879.00	62879.00	0.00	दिनांक 11.01.13 से संपूर्ण राशि जमा कोई अतिरिक्त माग शेष नहीं है।
12	2.17	मेसर्स टोरीनों लेबोरेटरित इन्दौर केन्द्रीय प्रकरण अवधि 02-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	143923.00	26068.00	117835.00	प्रकरण में अपील बोर्ड भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील में लंबित है।
13	2.17	मेसर्स एशियन आटो इण्ड.इन्दौर संभाग क्र.1 प्रांतीय प्र.क्र. 244/03 केन्द्रीय प्र.क्र. 129/03 अवधि 02-03	श्री यू.एस.बैस वा.के.अ. इन्दौर -08	23653.00	0.00	23653.00	प्रांतीय प्रकरण में आक्षेप अनुसार धारा 28(1) के तहत कार्यवाही की जाकर अतिरिक्त मांग रूपये 23653/- की निकाली गई है । जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
14	2.17	मेसर्स सलूजा हाउस आफ इण्ड.इन्दौर वृत्त -8 प्रांतीय एवं केन्द्रीय	श्री यू;एस.बैस वा.के.अ.इन्दौर -08	26970.00	26970.00	0.00	प्रकरण में कोई राशि बकाया नहीं है।

		प्र.क्र. 311/03 अवधि 02-03					
15	2.17	मेसर्स पूजा फूड्स गुना केन्द्रीय प्र.क्र. 60-ए/04 एवं प्रांतीय प्र. क्र. 60/04 अवधि 03-04		271664.00	271664.00	0.00	प्रकरण में कोई राशि बकाया नहीं है।
				25860247.00	2876308.00	18106128.00	

विभागीय पत्र क्रमांक एफ ए 12-14/2009/1/पांच
दिनांक 5/12/2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	801	ता.प्र.सं. 25 (क्र.4145) दि.27.07.2009	वाणिज्य कर विभाग में भोपाल इन्दौर जबलपुर ग्वालियर और सतना में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण।	शासन के स्थानांतरण नीति के अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण किये जायेंगे।	वाणिज्यिक कर विभाग में भोपाल,इन्दौर,जबलपुर ग्वालियर और सतना में तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में स्थानांतरण नीति 2007 की कंडिका 9.7 सहपठित कंडिका 09.16 में स्पष्ट है कि कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण करने के कारण किया जा सकेगा। इसका आशय यह नहीं है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उनमें यह आधार यह भी कि यह अनिवार्य नहीं है कि तीन वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावें। अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है। उनकी सेवानिवृत्ति होने पर उनके स्थान पर अन्य की पदस्थापना की जाती है । विभाग द्वारा अधिकांश अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिये गये है। जिनके स्थानांतरण नहीं किये गये है। उनकी जानकारी संलग्न परिशिष्टों में भेजी जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक 480/2020/पांच दिनांक 7 फरवरी,2020	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	802	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र.4145) दि.27.07.2009	शिवपुरी जिले के करेरा उप पंजीयक के द्वारा भूमि पंजीयन में गड़बड़ी तथा हेराफरी की जॉच एवं कार्यवाही।	जॉच में पाये गये निष्कर्षो के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	विभागीय जांच के संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 60 / चार-जांच/उ. प. /2012 दिनांक 15.6.2012 में श्री बी.एल.गुप्ता पर लगाए गए आरोप प्रमाणित होना नहीं पाये गये है तथा विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ बी 15-60/ 2009/2/पांच,</u> <u>दिनांक 30.08.2013</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>
9	803	अता.प्र.सं. 28 (क्र.2535) दि.27.07.2009	राजगढ़ जिले में वित्त वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक प्रदेश के बाहर के निवासियों द्वारा कृषि भूमि क्रय कर उसकी रजिस्ट्री कराई जाने की शिकायत की जॉच एवं कार्यवाही।	दो शिकायतों कलेक्टर राजगढ़ को वित्तीय वर्ष 2008-09 में की गई है जिसमें जॉच की जा रही है।	प्रकरण में एफ.आई.आर. के पश्चात अपराध क्रमांक 430/07 में धारा 420, 467, 468, 471, 120 - बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत थाना राजगढ़ में दिनांक 16.10.2007 को कायम हुआ। जिसमें तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया जिनमें से दयालसिंह पिता प्रभुलाल गुर्जर ग्राम मूडला तह.राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाना है। जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। <u>विभागीय पत्र क्र. बी-15-31/ 2009/2/पांच</u> <u>दिनांक 28.08.2012</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	804	अता.प्र.सं. 105 (क्र.4315) दि.27.07.2009	**1. मुरैना जिले के कार्यालय उप पंजीयक,पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय कैलारस में दिनांक 21.01.2009, 17.12.08 एवं 05.03.2009 को आवासीय भूमि को कृषि भूमि दर्शाकर की गई रजिस्ट्रियों की जॉंच एवं स्टाम्प शुल्क की वसूली एवं** **2. जिन अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री करने में गड़बड़ी की है उनके विरूद्ध जॉंच एवं कार्यवाही ।**	**1. इस प्रकरण में जॉंच कराई जा रही है ।** **2. जॉंच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।**	राजस्व प्रकरण क्रमांक 36/बी-105/08-09 में कलेक्टर आफ स्टाम्प मुरैना द्वारा दिनांक 14.07.2011 को आदेश पारित कर दस्तावेज क्रमांक 882 दिनांक 21.01.2009 में दर्शाये गये बाजार मूल्य रूपये 1,56,000/- को उचित मान्य किया गया है । इस प्रकरण में कोई वसूली नहीं होना है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ बी-15-36/2012/2/पांच,दि.13.08.2013 अद्यतन :- दस्तावेजों में सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण उप पंजीयक कैलारस द्वारा किया गया है । उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों में किये गये स्थल निरीक्षण का जांच प्रतिवेदन एवं पंजीयन दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है । यह उल्लेखनीय है कि दस्तावेज दिनांक 21.01.2009 को पंजीकृत दस्तावेज पर उचित स्टाम्प शुल्क लगाया गया है तथा दिनांक 17.12.2008 तथा दिनांक 05.03.2009 को पंजीकृत दस्तावेजों में क्रमशः रूपये 1226 एवं 1250 की वसूली की जा चुकी है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ बी-15-36/2009/2/पांच दिनांक 23 /12/ 2014	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	1128	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र.3797) दि.3.8.2009	जिला पंजीयन अधिकारी मुरैना द्वारा वर्ष 2007-08-09 में प्रश्न दिनांक तक आर्थिक लाभ लेकर राजस्व का नुकसान किये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही ।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।	वरिष्ठ जिला पंजीयक मुरैना द्वारा 4 आर.आर.सी.के तहत प्रकरण क्रमांक 4,5,6 एवं 7 /अ-76/10-11 में से तीन प्रकरण क्रमांक 4,6 एवं 7 में संपूर्ण मुद्रांक एवं पंजीयन फी की राशि जमा हो चुकी है तथा शेष 1 आर.आर.सी.प्रकरण क्रमांक 05 अ-76/10-11 में रूपये 2,12,000/- आंशिक रूप से जमा हुआ है। वरिष्ठ जिला पंजीयक मुरैना को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया है । चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत वसूली की जाना है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ बी-15-45/2009/2/पांच दिनांक 06.09/ 2012	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	1129	अता.प्र.सं. 46 (क्र.4382) दि.3.8.2009	बीना विधानसभा क्षेत्र में विदेशी मदिरा की दुकान का निर्धारण स्थान पर संचालित किया जाना।	संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। मदिरा दुकान को स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जावेगी।	बीना विधान सभा क्षेत्र में विदेशी मदिरा की दुकान को निर्धारित स्थान पर संचालित किये जाने के संबंध में वर्ष 2020 -11 हेतु विदेशी मदिरा दुकान बीना बजरिया को नवीन आपत्ति रहित स्थन के चयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / पुलिस एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सागर की संयुक्त समिति गठित की गई। गठित समिति द्वारा नवीन स्थल का चयन किया जाकर स्थल का पंचनामा तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसमें उक्त स्थल उपयुक्त होने एवं जन सामान्य का कोई आपत्ति न होना उल्लेखित किया गया है। अत: समिति द्वारा चयनित स्थल पर विदेशी मदिरा दुकान बीना बजरिया को दिनांक 01.04.2010 से नवीन आपत्ति रहित स्थल पर भवन स्वामी गुरूदेव सिंह यादव,भीम वार्ड छोटी बजरिया बीना में संचालित किया जा रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक 480/2020/पांच दिनांक 7 फरवरी,2020	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	1130	अता.प्र.सं. 106 (क्र.55359) दि.3.8.2009	श्री मानपाल सिंह रावत उप पंजीयक जिला श्योपुर द्वारा श्योपुर में रह कर स्वर्य के नाम एवं परिवार के नाम करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करने की प्राप्त शिकायत की जाँच एवं कार्यवाही।	जाँच कराई जाकर कार्यवाही की जावेगी।	श्री मनपाल सिंह रावत उप पंजीयक के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। उक्त विभागीय जांच में महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 50/चार-जांच/2012 दिनांक 14.06.2012 द्वारा श्री रावत की 5 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई। विभागीय पत्र क्रमांक एफ बी-15-64/2009/2/पांच दिनांक 20 अगस्त,2013	कोई टिप्पणी नही।

14	1221	अता.प्र.सं. 3 (क्र.104) दि.13.7.2009 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर खंड-3	वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2005-06,2006-07,207-08 में भारत के नियुत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दर्ज आपत्तियों पर कार्यवाही।	नियंप्ण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण कर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	वॉछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में इस प्रारूप के साथ संलग्न है। <u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से संबंधित आडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

क्र.	कंडिका क्रमांक	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्रमांक/विधान/ अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम एवं पद	निकाली गई अति मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही की जानाकारी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.2.9	मेसर्स एस.एम.डायकेम प्रा.लि.विदिशा प्रा.प्रकरण क्रमांक 281/2 एवं केन्द्रीय प्रकरण क्रमांक 156/02 अवधि 2001-02	श्री आर.एस.मेहरा सहायक आयुक्त	6369727.00	2786756.00	0.00	अपर आयुक्त द्वारा निगरानी की सुनवाई में प्रकरण पुन: कर निर्धारण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तन के पश्चात किये गये कर निर्धारण में रूपये 2786756/- कर निरूपित किया गया। जिसकी वसूली कर ली गई है। कोई बकाया शेष नहीं।
2	2.5	मेसर्स हिन्दुस्तान विद्युत प्रोडक्ट लि.ग्वालियर प्रांतीय एवं केन्द्रीय अवधि 2000-01 एवं 2002-02 आदेश दिनांक 20.06.2006 प्रांतीय वर्ष 2000-01	श्री डी.एस. धुर्वे सहायक आयुक्त	7065828.00	7065828.00	0.00	प्रकरण में व्यवसाई को कर मुक्ति का प्रमाण पत्र जारी हो गया है। अत: कोई बकाया शेष नहीं है।
3	2.8	मेसर्स संगम एजेन्सी इन्दौर प्रांतीय प्र.क्र.1/06 अवधि 1999-2000	श्री के.एस. नावडे वाणिज्यिक कर अवधिकारी इन्दौर वृत्त-3	111190.00	50500.00	60690.00	अचल संपत्ति कुर्की की जाकर नीलामी की कार्यवाही जारी है।
4	2.9	मेसर्स वायर इंडिया प्रा.लि.ग्वालियर प्रवेशकर प्रकरण क्रमांक 636/2000	श्री पी.एल.गोहिया सहायक आयुक्त	146610.00	14661.00	0.00	चालान क्रमांक 96767 दिनांक 17.12.2012 से जमा। प्रकरण में कोई अतिरिक्त मांग शेष नहीं है।
5	2.9	मेसर्स आदिनार्थ टेडर्स मुरैना प्रवेशकर प्रकरण अवकध 2001-02 एवं	श्री व्ही.एस. कनेल सहायक आयुक्त	266294.00	37600.00	228694.00	संभागीय उपायुक्त ग्वालियर संभाग-2 के ज्ञाप क्रमांक 2450

		01.04.02 से 31.10.02 तक	(स्वर्गवास)				दिनांक 2.7्2014 के अनुसार व्यवसायी द्वारा मध्यप्रदेश अपीलेट बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।
6.	2.10	मेसर्स गोमती इंटर प्राईजेस बालाघाट छिन्दवाडा प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 72/02 अवधि 20001-02	श्री ए. किसपोट्टों सहायक आयुक्त	529369.00	0.00	529369.00	व्यवसायी की ओर वर्ष 2001-02 की बकाया राशि 529369.00 है । व्यवसायी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दर्शाया गया है कि वे एल.एंड टी. सीमेन्ट क्लब भोपाल के सदस्य है । जिसका क्रमांक 44 है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.19189/03 एवं 19158 /03 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए.क्रमांक 325/03 एवं 578/02 में दिनांक 15.09.2003 को पारित स्थगन आदेश को दिनांक 13.1.2005 से निरंतर प्रभावशील किया गया । अत: उक्त स्थगन आदेशानुसार आगामी आदेश पर्यन्त वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।
		मेसर्स फेयरडील टेडर्स छिन्दवाडा प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 1/02 अवधि 2001-02	श्री ए. किसपोट्टों सहायक आयुक्त	440311.00	0.00	440311.00	व्यवसायी की ओर वर्ष 2001-02 की बकाया राशि 440311.00 है । मुख्यालय के ज्ञाप क्रमांक 1444/03/28/दो/1533 इन्दौर दिनांक 26.7.2004 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.क्रमांक 19189/03 एवं 19151/03 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एल.पी.ए.क्र.325/03 एवं 578/02 में दिनांक 15.03.2003 को पारित

							स्थगन आदेश को दिनांक 13.1.2005 से निरंतर प्रभावशील किया गया है। उक्त स्थगन आदेश अनुसार आगामी आदेश पर्यन्त वसूली की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।
योग				14929329.00	10087294.00	1259064.00	

<u>लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 से संबंधित आडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी</u>

क्रमांक	कंडिका क्रमांक	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्रमांक/विधान/ अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम एवं पद	निकाली गई अति मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही की जानाकारी ।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.2	मेसर्स विमकों स्लीपर प्रा.लि. खंडवा प्रा. प्रकरण क्रमांक 24/03 अवधि 2002-03	श्री एम.एस. मरकाम सहायक आयुक्त	4402384.00	4402384.00	0.00	कोई बकाया शेष नहीं है ।
2	2.2	मेसर्स डिजाईन ऑटो सिस्टम इंदौर प्रांतीय प्र.क्र.190/03 अवधि 2002-03	श्री आर.एस. अरोरा सआ	2464782.00	0.00	2464782.00	अचल संपत्ति कुर्क गई है । नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है।
3	2.2	मेसर्स पवन इंडीस्ट्रीज मुरैना प्रा.प्र.क्र.155/03 अवधि 2002-03	श्री व्ही.एस.कनेल सहायक आयुक्त	345685.00	345685.00	0.00	धारा 28(1) के तहत दिनांक 24.08.07 को आदेश पारित किया जाकर 345685 कर एवं शास्ति 345685 कुल 691370 की अतिरिक्त मांग निकाली गई। अपर आयुक्त द्वारा पारित निगरानी आदेश दिनांक 16.07.08 के अनुसार प्रकरण पुन: प्रत्यावर्तित किया गया। पुन: पारित आदेश दिनांक 14.12.10 में कर की राशि 345685 को यथावत रखते हुए शास्ति समाप्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 02.05.12 को निरस्त की गई। अतिरिक्त मांग

							के विरूद्ध 34590 जमा किए गए । संभागीय उपायुक्त ग्वालियर संभाग 2 के ज्ञाप क्रमांक 2450 दिनांक 2.7.2014 के अनुसार शेष राशि चालान क्रमांक 49 /29.01.12 रूपये 62300/- दिनांक 31.1.13 रूपये 24900/- जमा किये गये । प्रकरण में कोई मांग शेष नहीं है ।
4	2.2	मेसर्स बुरहानी ट्रेडर्स नलखेड़ा उज्जैन प्रा.प्र.क्र. 70/02 अवधि 2001-02 एवं प्र.क्र. 51./ 01 अवधि 2000-01	श्री एस.के. गुप्ता सहायक आयुक्त	559946.00	0.00	529946.00	माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रकरण स्थगन प्राप्त है ।
5	2.4	मेसर्स हाटलाईन टलीट्यूब कम्पोनिन्टस ग्वालियर संभाग -1 प्रा.एवं के. प्रकरण अवधि 2002-03	श्री के. एन. मीणा सहायक आयुक्त	4611641.00	0.00	4611641.00	संभागीय उपायुक्त वा.क.ग्वालियर संभाग -1 के ज्ञाप क्रमांक 2014-15 ग्वालियर दिनांक 5.7.2014 के अनुसार प्रकरण में वसूली हेतु रिक्वीजीशन सभा.उपा.वा.कर संभाग-2 ग्वालियर के माध्यम से भिण्ड वृत्त को भेजी गई है । भिण्ड वृत्त द्वारा व्यवसाई की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है । प्रकरण बी.आई.फ.आर.में लंबित है । पंजाब नेशपल बैंक द्वारा संपत्ति कुर्क की गई । पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम प्रभारं संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया था ।
6	2.5	मेसर्स लांग लाईफ रिट्रेड प्रा.लि. भोपाल वृत्त -1 प्रकरण क्रमांक 5/02 अवधि वर्ष 2001-02	श्री एस. सी. मेहता वाणिज्यिक कर अधिकारी	90120.00	90120.00	0.00	कोई बकाया शेष नहीं है ।
योग				**12444558.00**	**4838189.00**	**7606369.00**	

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 से संबंधित ऑडिट आक्षेप से सहमत प्रकरणों की जानकारी

क्र.	कंडिका क्र.	व्यवसायी का नाम/प्रकरण क्र./विधान/अवधि वर्ष	कर निर्धारक अधिकारी का नाम व पद	निकाली गई अति. मांग की राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि	शेष राशि की वसूली के संबंध में की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.3	मेसर्स त्रिवेणी सिन्टान इंटरनेशनल इन्दौर संभाग-3 प्रांतीय प्रकरण क्रमांक 73/04	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	323608.00	323608.00	0.00	कोई राशि शेष नहीं है।
2.	2.3	मेसर्स पूजा फूडस गुना ग्वालियर संभाग-2 प्रांतीय प्र.क्र.60 /40 केन्द्रीय प्र.क्र.60 – ए/04 अवधि 03-04	श्री के.पी. पाण्डेय वा.क.अ.गुना	323608.00	323608.00	0.00	कोई राशि शेष नहीं है।
3.	2.8	मेसर्स मनीष इलेक्ट्रिकल्स ग्वालियर प्रांतीय प्र.क्र.189/04 अवधि 2003-04	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त	946356.00	881766.00	0.00	निगरानी आदेश दिनांक 19.09.2007 में 64590 छूट प्रदान की गई शेष वसूली हो चुकी है कोई बकाया शेष नहीं है।
4.	2.8	मेसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि.ग्वालियर प्र.क्र.230/2000(16/4 रिमाण्ड) अवधि 1999-2000	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त	8000044.00	-	8000044.00	संभागीय उपायुक्त वा.क.ग्वालियर संभाग-1 के ज्ञाप क्रमांक वाक/उपा /1/ विधानसभा/ 2014 -15 ग्वालियर दिनांक 20.11.2014 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर से प्रकरण में दिनांक 28.02.2008 को स्थगन आदेश दिया गया है। न्यायालय के समक्ष पिछली तिथी दिनांक 30.06.2014 नियत थी। एवं प्रकरण लंबित है।
5	2.8	मेसर्स इण्डेग रबर लि.ग्वालियर प्रांतीय प्र.क्र.147/04 अवधि 03.04	श्री आर.पी.एस, जादौन सहायक आयुक्त	3028505.00	-	3028505.00	संभागीय उपायुक्त वा.क. ग्वालियर संभाग -1 के ज्ञाप क्रमांक वाक/उपा/1 /विधानसभा / 2014-15 ग्वालियर दिनांक 20.11.2014 के अनुसार प्रकरण में अपीलीय बोर्ड में लंबित है।
6	2.13	मेसर्स फेमस स्टील	श्री बी.जी.चौरे	102005.00	204010.00	0.00	आक्षेप अनुसार आरोपित

		इन्दौर वृत्त -5 प्रांतीय प्र. क्र. 171/04 अवधि 2003-04	वा.के.अ. इन्दौर वृत्त'5				कर एवं शास्ति रूपयें 204010.00 चालान द्वारा जमा हो चुके है । कोई बकाया शेष नहीं है।
7	2.15	मेसर्स तुलसी राम चौकसे ठेकेदार परासिया छिन्दवाड़ा प्रांतीय प्र.क्र. 159/03 अवधि 2002-03	श्री पी.के. पाण्डेय वा.क.अ.	90142.00	90142.00	0.00	प्रकरण में कोह् राशि बकाया नहीं है।
8.	2.15	मेसर्स जगदीश टी डिपों मंदसौर,रतलाम प्रांतीय प्र.क्र.122/00 अवधि 1999-2000 एवं 2000-2001	श्री एस.के. जैन वा.क.अ.	103373.00	103373.00	0.00	प्रकरण में कोई बकाया शेष नहीं है।
9.	2.15	मनीष सेल्स ग्वालियर प्रांतीय अवधि 2000-01 एवं 2003-04	श्री एच.एम. बोहरे सहायक आयुक्त ग्वालियर	562220.00	562220.00	0.00	प्रकरण में कोई बकाया शेष नहीं है।
10	2.17	मेसर्स राजश्री प्लास्टीवुड इन्दौर केन्द्रीय प्र.क्र. 126/03 अवधि 2002-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	6936091.00	0.00	6936091.00	न्यायालय के आदेश दिनांक 2.4.09 से वसूली स्थगित।
11.	2.17	मेसर्स मधु एल्युमिनियम प्रा.लि. इन्दौर केन्द्रीय प्र.क्र.49 /02 अवधि 2002-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	62879.00	62879.00	0.00	दिनांक 11.01.13 से संपूर्ण राशि जमा कोई अतिरिक्त माग शेष नहीं है।
12	2.17	मेसर्स टोरीनों लेबोरेटरित इन्दौर केन्द्रीय प्रकरण अवधि 02-03	श्री एन.एस. मरावी सहायक आयुक्त	143923.00	26068.00	117835.00	प्रकरण में अपील बोर्ड भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील में लंबित है।
13	2.17	मेसर्स एशियन आटो इण्ड.इन्दौर संभाग क्र.1 प्रांतीय प्र.क्र. 244/03 केन्द्रीय प्र.क्र. 129/03 अवधि 02-03	श्री यू.एस.बैस वा.के.अ. इन्दौर -08	23653.00	0.00	23653.00	प्रांतीय प्रकरण में आक्षेप अनुसार धारा 28(1) के तहत कार्यवाही की जाकर अतिरिक्त मांग रूपये 23653/- की निकाली गई है । जिसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
14	2.17	मेसर्स सलूजा हाउस आफ इण्ड.इन्दौर वृत्त -8 प्रांतीय एवं केन्द्रीय प्र.क्र. 311/03 अवधि 02-03	श्री यू:एस.बैस वा.के.अ.इन्दौर -08	26970.00	26970.00	0.00	प्रकरण में कोई राशि बकाया नहीं है।
15	2.17	मेसर्स पूजा फूड्स गुना		271664.00	271664.00	0.00	प्रकरण में कोई राशि

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>केन्द्रीय प्र.क्र. 60-ए/04 एवं प्रांतीय प्र. क्र. 60/04 अवधि 03-04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>बकाया नहीं है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25860247.00</td><td>2876308.00</td><td>18106128.00</td><td></td></tr>
</table>

विभागीय पत्र क्रमांक एफ ए 12-14/2009/1/पांच
दिनांक 5/12/2014
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	124	परि.ता.प्र.सं.8 (क्र.249) दि.14.07.2009	इन्दौर परिक्षेत्र में विभाग द्वारा निर्मित पानी की तीन टंकियों का 5 वर्षो से उपयोग न कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जावेगी।	आश्वासन क्रमांक 124 के अंतर्गत बडवानी जिले के गंधावल ग्राम में निर्मित टंकी से पेयजल प्रदाय मार्च,2009 से प्रारंभ कर दिया गया था एवं वर्तमान में भी टंकी से जल प्रदाय किया जा रहा है । शाजापुर जिले के ग्राम करजू एवं जरखी सकराई में पानी की टंकी का उपयोग तत्समय स्त्रोत सूखने के कारण नहीं हो पा रहा था । नये पेयजल स्त्रोतों का निर्माण कर माह फरवरी 2008 से टंकितयों का उपयोग पेयजल हेतु किया जा रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक 777/2011/2/34 दिनांक 23 फरवरी 2011	कोई टिप्पणी नही।
2.	235	अता.प्र.सं.2 (क्र.177) दि.16.07.2009	नगर पंचायत मऊगंज जिला रीवा में पानी की टंकी का निर्माण कर जल प्रदाय किया जाना।	पानी की टंकी से सर्चिंग मैन सप्लाई तथा जल स्त्रोत तैयार कर नगर पंचायत को हस्तांतरित होने पर पानी दिया जाना संभव हो सकेगा।	नगर पंचायत मऊगंज रीवा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर की जलप्रदाय योजना के लिये एम.पी.यू.एस. आई. पी.-7 ए.के अंतर्गत रूपये 51.31 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है । जिसके अंतर्गत मेसर्स के. एन. के. प्रोजेक्टर प्राइवेट न्यू देहली को दिनांक 28.12.16 को कार्यादेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिया गया है। जिनके द्वारा 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक आर-116/2016/2/34 दिनांक 01 नवम्बर,2017	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	275	ता.प्र.सं.1 (क्र.1187) दि.07.07.2009	बंडा जिला सागर में समय सीमा में हैंड पंम्पों का उत्खनन न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही।	अनुबंध के अनुरूप परीक्षण कर विलम्ब हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	बंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन ठेकेदारों द्वारा नलकूपों का खनन कार्य किया गया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :- 1. श्री एल.बी.बिलानी (बंडा) – कार्यपालन यंत्री के कार्यादेश क्रमांक 3032 दिनांक 10.06.08 के द्वारा आवंटित 10 नलकूपों का कार्य विलंब से करने के कारण अनुबंध के प्रावधानों के तहत कार्य की लागत 4.00 लाख की 1.80 प्रतिशत(राशि रूपये 7200) अर्थदंड के रूप में अधीक्षण यंत्री मंडल सागर द्वारा निर्धारित की गई है। कार्यपालन यंत्री सागर द्वारा दिनांक 05.01.2010 को रूपये 7200.00 राशि ठेकेदार के अंतिम देयक से वसूल की गई है। 2. श्री रोहित एन्थोनी (सागर) कार्यपालन यंत्री के कार्यादेश क्रमांक 2703 दिनांक 26.05.08 के द्वारा आवंटित नलकूपों का खनन कार्य विलंब से किये जाने के कारण अनुबंध प्रावधानों के तहत कार्य की अनुमानित लागत 4.00 लाख की 0.75 प्रतिशत (राशि 3000.00) अर्थदंड के रूप में अधीक्षण यंत्री मंडल सागर द्वारा निर्धारित की गई थी। कार्यपालन यंत्री खंड सागर द्वारा दिनांक 5.11.09 को रूपये 3000.00 राशि ठेकेदार के अंतिम देयक से वसूल की गई है। 3. श्री जी.वर्धराज (सागर) कार्यपालन यंत्री के कार्यादेश क्रमांक 2171 दिनांक 1.06.09 में आवंटित 10 नलकूपों में से 03 नलकूपों का खनन कार्य विलंब से पूर्ण हुआ है। कार्य में हुए विलंब के फलस्वरूप ठेकेदार से अंतिम देयक से 1.05 प्रतिशत (रूपये 4275.00) राशि दिनांक 31.03.3010 को वसूल की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ -13-4910/2/34 दिनांक 28 अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	276	ता.प्र.सं 13 (क्र.802) दि.07.07.2009	**चुरहट विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षो से बंद पड़ी नल जल योजनाओं को पुन: चालू किया जाना।**	जी.हाँ।	चुरहट विधानसभा क्षेत्र की कुल स्वीकृत 18 ग्रामीण नलजल योजनाओं में से 5 योजनाओं को पूर्ण कर जलप्रदाय किया जा रहा है। शेघ 13 योजनाओं में से 7 योजनाओं को आंशिक पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है। 3 योजनाओं में स्त्रोत निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है एवं 2 योजनाओं में स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक 2269/1079/2010/2/34 दिनांक 31 मई, 2010 अद्यतन :- चुरहट विधानसभा क्षेत्र की कुल स्वीकृत 18 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं में से 17 योजनाओं को पूर्ण कया जाकर जलप्रदाय किया जा रहा है। शेष 01 योजना को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक3850/ 1828/2011/2/34 दिनांक 26.11.13**	**कोई टिप्पणी नही।**
5.	277	ता.प्र.सं 18 (क्र.375) दि.07.07.2009	**दमोह जिले के जबेरा, तेंदूखेड़ा एवं दमोह विकासखंड की नल जल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाना।**	**योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।**	जबेरा, तेन्दूखेड़ा एवं दमोह विकासखंड की निर्माणाधीन 13 योजनाओं में से समस्त 13 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है। जो चालू है। **विभागीय पत्र क्रमांक 1237 /1230/100/2/34 दिनांक 24.05.2014**	**कोई टिप्पणी नही।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	278	परि.ता.प्र.सं 30 (क्र.657) दि.07.07.2009	सागर जिले के फ्लोराइड युक्त ग्रामों में कुओं को कवर्ड कर हैंडपंप लगाये जाना।	स्थानीय समुदाय के सहमत होने पर कुओं को कवर कर हैंडपंप लगाने का प्रयास किया जावेगा।	स्थानीय समुदाय द्वारा कुओं को कवर्ड करने नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत ग्रामवासियों द्वारा पंचनामा दिया गया है। अत: कुओं में पावरपंप / चरखी/ हैंडपंप स्थापति किये जाकर ग्रामवासियों को इन कुओं से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक2378/ 1228/2010/2/34 दिनांक 8 जून 2010	कोई टिप्पणी नही।
7.	279	ता.प्र.सं 3 (क्र.1163) दि.07.07.2009	पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मुरैना में दिनांक 14.05.2009 की बैठक में आये प्रस्तावों का परीक्षण कर कार्यवाही।	उनके जो भी प्रस्ताव आये है उनको परीक्षण के लिये भेजा है। उसमें से खनन हेतु जो शेष है उनका भी खनन करेंगे।	पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 14.05.2009 की बैठक में माननीय सांसद महोदय क माध्यम से 229 हैंडपंपों के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। पेयजल समस्या वाली 28 बसाहटों में 28 नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापित किये जा चुके है। विभागीय पत्र क्रमांक3884/ 2011/2/34 दिनांक 04.07.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	280	ता.प्र.सं 13 (क्र.802) दि.07.07.2009	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर द्वारा वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 में स्टाप डेमों की गुणवत्ता में खराबी की माननीय सदस्य की उपस्थिति में जॉंच एवं कार्यवाही।	चैकडैम/स्टापडेम की गुणवत्ता खराब होने संबंधी शिकायत की प्रारंभिक जॉंच में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जॉंच की जा रही है एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । माननीय विधायक महोदय के साथ हम पूरे स्टापडेमों की जॉंच करा देगें । जिनके कार्य कराये गये और हमारे अधिकारी रहेंगे । आप जब समय दें उसकी तिथि निर्धारित करने का तैयार है।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 126 दिनांक 17.02.2010 द्वारा अधीक्षण यंत्रियों का जॉंच दल गठित कर समूहों में संरचनाओं की संख्या अनुसार जॉंच करा ली गई है। जॉंच में पाई गई कमियों के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जॉंच संस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है। <u>विभागीय पत्र क्रमाक3651/</u> <u>5627/2011/1/चौतीस</u> <u>दिनांक 04.01.2012</u> <u>अद्यतन :-</u> विभागीय जानकारी अनुसार प्रकरण से संबंधित एक कार्यपालन उपयंत्रियों के विरूद्ध वसूली एवं वेतनवृद्धि रोकने के दंडादेश जारी किये गये है। प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 3369/2016/1/34</u> <u>दिनांक 18.11.2016</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>
9.	281	ता.प्र.सं 06 (क्र.1100) दि.07.07.2009	इन्दौर जिलें के समस्या मूलक गॉंवों में हैंडपंप/ट्यूबवेल का उत्खनन ।	अगर माननीय सदस्य कहते है कि हैंडपंप लगाना है तो हम लगाने को तैयार है।	इन्दौर जिले में वर्ष 2009-10 में आंशिक पूर्ण श्रेणी की 119 बसाहटों में 419 एवं पूर्ण श्रेणी की 84 बसाहटों में 104 नलकूपों का खनन किया गया । इनमें से कुल 466 नलकूप सफल रहें। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4889/2/34 दिनांक 12 अक्टू. 2010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	282	परिता.प्र.सं 31 (क्र.693) दि.07.07.2009	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड में फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना का संचालन करने के लिये एकीकृत झाबुआ जिले के अलीराजपुर को नया जिला बनाने के बाद विभिन्न खंडों का विभाजन कर जिलेवार कार्य का विभाजन किया जाना।	विभिन्न खंडों के कार्य विभाजन संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।	नवीन खंड अलीराजपुर की स्थापना दिनाक 1.5.2009 को की गई एवं उपखंड अलीराजपुर जोबट भाभरा का समस्त अमले सहित सिविल खंड अलीराजपुर के प्रशासकीय नियंत्रण में सौपे गये एवं संबंधित रिकार्ड हस्तांतरित किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक3664/ 5642/2011/1/चौंतीस दिनांक 4.1.2012	कोई टिप्पणी नही।
11.	283	परिता.प्र.सं 42 (क्र.937) दि.07.07.2009	भिण्ड जिले में बंद नल जल योजनाओं को चालू करना।	स्त्रोत के अभाव में बंद योजनाओं को पुन: चालू करने हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।	भिण्ड जिले में स्त्रोत असफल होने के कारण बंद 07 नल जल योजनाओं में से सभी नल जल योजनाओं के स्त्रोत निर्माण के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4072/2011/2/34 दिनांक 12.07.2011	कोई टिप्पणी नही।
12.	284	ता.प्र.सं 42 (क्र.937) दि.07.07.2009	राजगढ़ जिले के उप संभागवार हैंड पंपों के पुराने पाइपों की नीलामी।	अनुपयोगी पाईपों के नियमानुसार विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।	राजगढ़ जिले के उप संभागवार हैंडपंपों के पुराने पाईपों की नीलामी हेतु निविदा प्राप्त अधिकतम बोलीकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा न करने के कारण धरोहर राशि जब्त की गई एवं द्वितीय अधिकतम बोली वाले को राशि जमा करने हेतु लिखा गया। द्वितीय अधिकतम बोली वाले भी उपस्थित न होने पर उनकी धरोहर राशि भी राजसात की गई। दिनाक 10.08.20 को पुन: कार्यपालन यंत्री राजगढ़ द्वारा निविदा आमंत्रित कर एवं दिनांक 16.09.10 को निविदा स्वीकृत होने पर श्री मुस्ताक मोहम्मद राजगढ एवं श्री रसीद खान राजगढ़ को शेष राशि जमा करने हेतु लिखा गया है। जिसमें श्री मुस्ताक मोहम्मद राजगढ़ द्वारा कुल राशि रूपये 97000/- दिनांक 6.10.10 को जमा कर दी गई व उन्हें सामग्री उठाने हेतु पत्र भी जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-4863/2/34 दिनांक 28.10.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	285	अता.प्र.सं 11 (क्र.222) दि.07.07.2009	जावरा विधान सभा क्षेत्र जिला रतलाम तथा मुंगावली विधानसभा क्षेत्र जिला अशोकनगर के अधिकांश ग्रामों में नागरिकों एवं सरपंचों द्वारा शिकायत करने के बाद हैंडपंप न सुधारे जाने की जॉंच एवं कार्यवाही।	दोषी पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।	जावरा विधानसभा क्षेत्र में सुधार योग्य कोई भी हैंडपंप बंद नहीं है। हैंडपंपों का सुधार विभाग की निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत है तथा बंद होने की सूचना प्राप्त होने पर सामान्यत: 5 दिवस की समयावधि में बिगड़े हैंडपंपों का सुधार कर दिया जाता है। 142 ग्रामों में 676 हैंडपंप जलस्तर नीचे जाने के कारण बंद थे। वर्षा होने के उपरांत जलस्तर बढ़नक पर उक्त हैंडपंप स्वत: चालू हो जाते है। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र जिला अशोकनगर के अंतर्गत चंदेरी एवं मुंगावली का क्षेत्र आता है। 31 मार्च 2009 की स्थिति में कुल 3443 हैंडपंप स्थापित थे जिनमें से 123 हैंडपंपों में जलस्तर कम हुआ था। 180 हैंडपंप भरे पटे है। मार्च 2009 से जून 2009 तक कुल 993 हैंडपंपों का सुधार कार्य करवाया गया एवं 117 हैंडपंपों में कुल 588 मीटर राईजर पाईप डाले गये इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में 45 ग्रामों में 63 नलकूप भी खनित करवाये गये। विभाग द्वारा बंद हैंडपंपों के संबंध में जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उन्हें शीघ्रता से सुधारने हेतु प्रयास किये जाते है तथा कार्य में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारी /कर्मचारियों को चेतावली पत्र दिये गये है। विभागीय पत्र क्रमांक 6129/2010/2/34 दिनांक 18 नवम्बर,2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	286	ता.प्र.सं 27 (क्र.571) दि.07.07.2009	बड़नगर तहसील के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	नवीन स्त्रोंतों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	1. ग्राम रूनिजा में विभाग द्वारा नवीन स्त्रोत निर्मित कर माह जून 2010 में योजना चालू कर दी गई है। 2. स्त्रोत पुर्नजीवित कर योजना अगस्त 2010 में चालू की गई। 3. ग्राम चिरोला में पंचायत द्वारा मई 2010 में नवीन नलकूप स्त्रोत निर्मित किया जाकर योजना चालू की गई। 4. ग्राम सिजावता में स्त्रोत नलकूप पुनर्जीवित होने से योजना चालू हो गई है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4958/2/34 दिनांक 29.10.2010	कोई टिप्पणी नही।
15.	287	ता.प्र.सं 35 (क्र.885) दि.07.07.2009	श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराहल के ग्रामों मजरे व टोलो में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	जल आपूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाएगी।	1. 23 ग्रामों में सिंगलफेस पंप आधारित स्थलजल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 15.03.2010 को जारी की गई। 2. 07 ग्रामों में स्थल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति बी. आर. जी. एफ. योजना के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा प्रदान की गई। 3. 37 ग्रामों में बी.आर.जी. एफ.योजना के अंतर्गत स्थल जल प्रदाय योजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु जिला पंचायत को भेजी गई। 4. बी.आर.जी.एफ.के अंतर्गत लागत रूपये 75.00 लाख की नलजल योजना ग्राम कराहल हेतु स्वीकृत की गई। ग्राम बगवाज की नलजल प्रदाय योजना लागत रूपये 75.00 लाख की तैयार कर स्वीकृति हेतु दिनांक 24.12.09 को जिला पंचायत को भेजी गई। 5.विकासखंड कराहल के 5 ग्रामों में स्थल जल प्रदाय योजना को प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदान की गई। विभागीय पत्र क्रमांक2371/ 445/2010/2/34 दिनांक 8 जून,2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	288	अता.प्र.सं 60 (क्र.1136) दि.07.07.2009	जिला उज्जैन एवं जिला जबलपुर के बरगी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में व्याप्त संकट का समाधान किया जाना।	निर्धारित मापदंडों के अनुरूप जल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।	ग्राम गैलाखेड़ी मुंडला सोंदिया, झारडा, महिदपुर रोड, झांझाखेड़ी, बोरखेडा पीतरामल, जलोदिया जागीर पुनाखेड़ा एवं रानी पिपलिया में नलजल योजना का कार्य प्रगति पर है। ग्राम सेमलिया की नलजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष दो ग्राम डुंगरखेड़ा एवं माउखेड़ी में सफल स्त्रोत खनन किये गये। खनित नलकूपों की आवक क्षमता का परीक्षण उपरांत योजना स्वीकृति कार्यवाही की जावेगी। जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र में 1.4.2010 की स्थिति में कुल 140 ग्रामीण बसाहटें आंशिक जनसंख्या कवरेज की श्रेणी में थी। वर्ष 2010 -11 हेतु उपरोत में 101 बसाहटों में 122 हैंडपंप तथा 3 नलजल योजनाएं पूर्ण करने हेतु स्वीकृति की गई है। अभी तक 40 बसाहटों में 46 सफल नलकूप/हैंडपंप निर्मित किये जा चुके है शेष नलकूप / हैंडपपों के कार्यादेश जारी किए जा चुके है नलजल योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4932/2/34 दिनांक 29.10.2010	कोई टिप्पणी नही।
17.	289	ता.प्र.सं 72 (क्र.1211) दि.07.07.2009	मुलताई विधान सभा क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट का निराकरण।	पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु योजनाएं बनाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।	मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नलजल योजनायें बनाकर स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की गई। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13 - 4912/2/34 दिनांक 28 अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	290	नियम -139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा दि.09.07.2009	1.डिंडोरी जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कन्या छात्रावासों में हैंडपंपों का खनन। 2.छिन्दवाड़ा जिले के परासिया में पेयजल उपलब्ध कराया जाना। **3.** विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी में विधायक निधि से हैंडपंप का समय सीमा में खनन। 4. प्रदेश में उन स्कूलों के हैंडपंपों में जहां फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है वहाँ फ्लोराइड शोधन संयंत्र की स्थापना।	1.मैं घोषणा करना चाहता हूं कि जहां हमारी अनुसूचित जाति, जनजातियों की बेटियां उन छात्रावासों में रहती हैं तो उनके लिये हम हैंडपंप इसी बरसात में खोद कर देंगे। 2. यदि हमकों केन्द्र पैसा नहीं देगा तो राज्य के बजट से उसकी व्यवस्था करेगें पर वहां पर पेयजल हम उपलब्ध कराएंगे। 3. दो महीने के अंदर उनके हैंडपंप खोद दिये जायेगें बरसात के सीजन को छोड़ कर के। 4. 2800 स्कूलों में फ्लोराइड शोधन के संयंत्र हम बरसात के पूर्व ही लगा देंगे।	1) डिण्डोरी जिले में अनुसूचित जाति के शून्य एवं अनुसूचित जनजाति के 18 कुल आश्रम छात्रावास है। 01.04.09 की स्थिति में जिले में 13 अनुसूचित जनजाति के आश्रम/ छात्रावास थे। जिनमें से वित्तीय वर्ष 2009-10 में 11 पेयजल व्यवस्था की गई शेष 2 में चालू वित्तीय वर्ष में पेयजल व्यवस्था की जायेगी। 2) छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 40 हजार है। सभी वार्डों में वर्तमान में नगरपालिका द्वारा जलप्रदाय किया जा रहा है। विद्यतान जल स्त्रोतों की जानकारी निम्नानुसार है :- 1- कुल 59 हैंडपंप स्थापित है जिनमें से 45 चालू है। 2- 8 नलकूपों पर पावरपंप स्थापित है जिनसे जलप्रदाय हो रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13/4861/2/34 दिनांक 28 अक्टूबर,2010 अद्यतन :- 1) डिण्डौरी जिले में अनुसूचित जनजाति के शेष 02 छात्रावासों कन्या छात्रावास मोहतरा एवं कन्या छात्रावास दुहनिया में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। 2) पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत लागत रूपये 5178.76 लाख के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। योजना पूर्ण कर परासिया नगर के वार्ड क्रमांक 18, 19, 20 एवं 21 में जलप्रदाय सुनिश्चित किया जावेगी। विभागीय पत्र क्रमांक3945/ 2736/2013/2/34 दिनांक 10.12.2013	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	291	ता.प्र.सं 18 (क्र.1948) दि.14.07.2009	**मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार नर्मदा, माही व गांधी सागर पर छः इनटेक वेल का निर्माण।**	**23.12.2008 को इस आशय का संकल्प माननीय मुख्य मंत्री ने लिया है और संकल्प पूरा होगा।**	सतही स्त्रोत नर्मदा नदी,माही एवं गांधी सागर बांध पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा किया जा रहा है। नर्मदा नदी पर आधारित (1) बागोद, नादिया एवं पिलिया बुजुर्ग समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं निविदा स्वीकृति उपरांत योजना क्रियान्वयन हेतु दिनांक 28.08.14 को कार्यादेश जारी किया गया। (2) तलुनखुर्द समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं निविदा स्वीकृति उपरांत योजना क्रियान्वयन हेतु दिनांक 16.07.2014 को कार्यादेश जारी किया गया। (3) नर्मदा-क्षिप्रा लिंक समूह जल प्रदाय योजना एवं (4) निमरानी समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों का सर्वेक्षण उपरांत डी.नी.आर तैयार कराई गई,दोनों योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। योजनाएं जन निजी भागीदारी(PPP) आधार पर क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है। (5) माही बांध पर आधारित राजोद (माही) समूह जल प्रदाय योजना में सम्मिलित ग्रामों का सर्वेक्षण उपरांत डी.पी.आर.तैयार कराई गई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है। योजना जन निजी भागीदारी (PPP) आधार पर क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है।	कोई टिप्पणी नही।

					(6) गांधी सागर बांधी-गांधी सागर बांध पर आधारित गांधी सागर (मंदसौर)समूह जल प्रदाय योजना स्टेज-1 प्रस्तावि संचालक मंडल के अनुमोदन उपरांत डी.पी. आर.बनाने की कार्यवाही की जावेगी । विभागीय पत्र क्रमांक4289/ 1634/2011/2/34 दिनांक 20.11.2014	
20.	292	ता.प्र.सं 22 (क्र.1620) दि.14.07.2009	बड़वानी जिले में चयनित एन.जी.ओ.के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉंच एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही।	जॉंच निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिल बडवानी द्वारा जॉंच की कार्यवाही की गई एवं उनके पत्र क्रमांक 835 दिनांक 9.7.09 से जॉंच प्रतिवेदन कलेक्टर बडवानी को प्रेषित किया गया । जॉंच प्रतिवेदन अनुसार लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । किसी भी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही नही की जाना है । विभागीय पत्र क्रमांक 842/ 2011/2/34 दिनांक 25.02.2011	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	293	परि.ता.प्र.सं 14 (क्र.702) दि.14.07.2009	पन्ना जिला अंतर्गत अल्प वर्षा सूखा की स्थिति में नलकूप खनन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के लिये विलंब से भेजे जाने की जॉंच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जी.हां परीक्षण कर आवश्यकता होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	पन्ना जिले के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल सागर के पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 25.04.09 से पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में नलकूप खनन हेतु योजनाएं बनाई गई थी जो दिनांक 13.05.09 को मुख्य अभियंता ग्वालियर को प्राप्त हुई योजनाओं का परीक्षण कर सुधार हेतु पत्र क्रमांक 2427 दिनांक 5.6.09 द्वारा अधीक्षण यंत्री मंडल सागर को भिजवाई गई। जिसे उनके पत्र क्रमांक 3115 दिनांक 24.11.09 से योजनाएं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु पुन: प्रस्तुत की गई। इस तरह प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही पूर्व से प्रक्रियाधीन होने से योजनाएं भेजने में विलम्ब से भेजने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्ष 2009-10 में आंशिक पूर्ण बसाहटों /पूर्ण श्रेणी की बसाहटों में 241 नलकूप खनन कार्य हेतु लागत रूपये 132.55 लाख एवं ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लिये 34 नलकूप खनन हेतु लागत रूपये 18.70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिये विलम्ब हेतु कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक 3774/2011/234 दिनांक 30 जून, 2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	294	परि.ता.प्र.सं 26 (क्र.1011) दि.14.07.2009	मेहगांव विधान सभा में नवीन हैंडपंप समयसीमा में लगवाये जाना।	मेंहगांव विधानसभा क्षेत्र में 4 आंशिकपूर्ण बसाहटों में 4 नवीन हैंडपंप लगाया जाना है जिन्हें वित्तीय वर्ष 2009-10 में लगाया जाना प्रस्तावित है।	मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में 4 आंशिकपूर्ण बसाहटों में नलकूप खनन कार्य आदेश क्रमांक 1510 दिनांक 15.06.10 से मैकेनिकल शाखा को प्रदाय किये गये। जिनमें उनके द्वारा ग्राम प्रतापपुरा में दिनांक 26.05.10 एवं चन्द्रपुरा में 3.6.10 तथा टकपुरा में 10.6.2010 में खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अंतर्गत ग्राम टकपुरा में खारा पानी प्राप्त हुआ है। जिसकी खारेपानी की योजना स्वीकृत है। इसी प्रकार ग्राम सिलोली भी नलजल प्रदाय योजना स्वीकृत है। 1 नग नलकूप खनन पूर्ण किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-5163/10/2/34 दिनांक 5 नवम्बर,2010	कोई टिप्पणी नही।
23.	295	परि.ता.प्र.सं 43 (क्र.1348) दि.14.07.2009	सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजना स्वीकृत कर टंकियों का निर्माण प्रारंभ किया जाना।	मांग का परीक्षण कर उपरोक्त प्रक्रियानुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।	सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के 14 ग्रामों में नलजल योजना स्वीकृत करने हेतु मांग की गई। परीक्षण उपरांत पात्रता अनुसार उपरोक्त में से 6 ग्रामों की नलजल योजना स्वीकृत की गई है इन सभी 6 योजनाओं में कार्य हेतु निविदाएं आंमत्रित की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 31 अन्य नलजल योजनाओं में अद्यतन 11 योजनाएं पूर्ण। 08 योजनाएं प्रगतिरत है शेष अप्रारंभ योजनाओं के अंतर्गत 5 योजनाओं मे सफल स्त्रोत निर्मित करा लिये गये है। वर्ष 2010 - 11 में 12 नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन का लक्ष्य जिला जबलपुर को दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4930/2/34 दिनांक 29 अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	296	परि.ता.प्र.सं 57 (क्र.1772) दि.14.07.2009	पन्ना जिले में वर्ष 2007-2008 एवं 2009 में लघु उद्योग निगम के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा खरीदे पाइपों का अधिक भुगतान के दोषी अधिकारी एवं फर्म से वसूली हेतु।	इस प्रकरण को सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा एवं अधिकारी के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	पन्ना जिले में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2009 में लघु उद्योग निगम के माध्यम से जो पाइप क्रय किये गये थे । उसका भुगतान लघु उद्योग निगम के कार्यादेश दिनांक 20.02.2009 के अनुया प्रदायकर्ता फर्म मेसर्स कपिलांश धातु उद्योग नागपुर को किया गया था । इसके उपरांत लघु उद्योग निगम द्वारा उक्त सामग्री के संशोधित प्रदाय आदेश प्राप्त होने पर यह पाया गया कि संशोधित आदेश में पाईप की दरे कम की गई है । अत: विभाग द्वारा रूपये 63629.00/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया था । उसकी वसूली संबंधित फर्म से कर ली गई एवं चालान क्रमांक 121 दिनांक 25.07.09 द्वारा प्रशासकीय खाते में जमा की गई है । विभागीय पत्र क्रमांक 6160/3025/2011/2/34 दिनांक 4.1.2012	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	297	परि.ता.प्र.सं 64 (क्र.1974) दि.14.07.2009	प्रदेश में फ्लोराइड युक्त पानी की शिकायतों के शेष रहे गांवों का फ्लोराइड मुक्त किया जाना ।	स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है।	प्रदेश में दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में 17 जिलों के शेष 2485 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में से अब तक 801 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है । शेष 1684 बसाहटों में भी कार्य प्रगतिरत है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। विभागीय पत्र क्रमांक2585/ 388/2011/2/34 दिनांक 18.07.2013 अद्यतन :- वर्ष 2009 से मार्च 2014 तक कुल 2809 फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक व्यवस्था कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है :- (क्र-1) फ्लोराईड प्रभावित 17 जिले क्रमश: अलीराजपुर बालाघाट, बैतूल, छिन्दवाडा, देवास, धार, डिण्डोरी, झाबुआ, खरगोन,मण्डला, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, सिवनी श्योपुर एवं विदिशा (क्र-2) ग्राम मेंउपलब्ध अन्य सुरक्षित स्त्रोत के माध्यम से पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जाती है। यथा संभव प्रभावित बसाहटों में डी फ्लोराईडेशन प्लांट की स्थापना की जाती है। (क्र-3) शेष बसाहटों के कार्य पूर्ण कर लिये गये हे। (क्र-4) गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 2014-15 के बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त धनराशि हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। (क्र-5) फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में उसकी मात्रा का परीक्षण विभागीय उपखंड स्तरीय / जिला स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाता है। (क्र-6) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से कोई स्टाफ स्वीकृत अथवा कार्यरत नहीं है। जिला स्तर पर हेतु स्वीकृत अथवा कार्यरत स्टाफ द्वारा अन्य विभागीय कार्य के साथ साथ यह कार्य भी संपादित किया जाता है। विभागीय पत्र क्रमांक 4866 आर-1417/201/2/34 दिनांक 20.11.2016	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	298	परि.ता.प्र.सं 79 (क्र.2328) दि.14.07.2009	भोपाल शहर में नर्मदा जल लाने की योजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना।	कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है।	भोपाल शहर की पेयजल आवर्धन परियोजना नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के कार्य प्रगति पर है। ठेकेदार मेसर्स के.बी;एल.कोया-बी. ए. टेक संयुक्त उपक्रम भोपाल को दिनांक 14.03.3010 तक कार्य पूर्ण करने की समय सीमा स्वीकृति हो गई है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक2470/1622/</u> <u>10/2/34 दिनांक 17.06.2010</u> <u>अद्यतन :-</u> भोपाल शहर की वर्ष 2005 में स्वीकृत नर्मदा जल प्रदाय योजना के सभी अवयवों की रूपांकित क्षमता से परीक्षण कर दिनांक 30.10.2012 से आवश्यकतानुसार नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा जल प्रदाय किया जा रहा है। उक्त योजना नगर पालिका निगम भोपाल को स्थानांतरित की जाकर संचालन/संधारण नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा किया जा रहा है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 3478/1586/15-2/34</u> <u>दिनांक 05.08.2015</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	299	अता.प्र.सं 43 (क्र.1695) दि.14.07.2009	पन्ना जिले के जनपद पंचायत पवई व शाहगढ़ में वर्ष 2008-09,2009-10 के शेष हैंड पंपों का उत्खनन।	शेष नलकूपों की आवश्यकता का भी परीक्षण किया जा रहा है एवं शीघ्र कार्यवाही का प्रयास किया जायेगा।	पन्ना जिले में वर्ष 2008-09 में 437 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसमें से जिले में 384 नलकूपों का खनन किया गया। जनपद पंचायत पवई में 114 नलकूपों का खनन किया गया तथा जनपद पंचायत शाहनगर में 145 नलकूपों का खनन किया गया। वर्ष 2009-10 में पन्ना जिले को 210 नलकूपों के खनन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत पवई में 139 नलकूप खनित किए गए थे तथा शाहनगर में 119 नलकूप खनित किए गए थे। वर्ष 2008-09 के शेष नलकूपों का खनन वर्ष 2009-10 में किया जाकर कार्य पूर्ण किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13 5159/10/2/34 दिनांक 15.11.2010	कोई टिप्पणी नही।
28.	300	अता.प्र.सं.91 (क्र.2642) दि.14.07.2009	वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रभातपट्टन एवं मुलताई विकासखंड अंतर्गत गांवों की प्रस्तावित नलजल योजना पूर्ण कर पेयजल का प्रदाय।	सभी योजनाओं को पूर्ण कर जल प्रदाय किया जाना लक्षित है।	विकासखण्ड प्रभातपट्टन एवं मुलताई के अंतर्गत प्रस्तावित 14 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13/4905/2/34 दिनांक 28.10.2010 अद्यतन विकासखण्ड प्रभातपट्टन एवं मुलताई के अंतर्गत स्वीकृत 14 योजनाओं में से 12 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जलप्रदाय किया जा रहा है। शेष 02 ग्रामों में से 1 ग्राम में टंकी निर्माण कार्य पूर्व में ठेकेदार द्वारा अधूरा छोडनें से अपूर्ण है। जिसे पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। 1 ग्राम की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक 3254/1521/2013/2/34 दिनांक 16.09.2013	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	302	ता.प्र.सं 16 (क्र.1434) दि.21.07.2009	1. सीधी जिले में नल जल योजनाओं का समय सीमा में निर्माण। **2.** पंचायतों की नल जल योजनाओं का संचालन पी.एच.ई.द्वारा किये जाने के विचार पर निर्णय किया जाना।	1. इनको समय पर पूरा किया जायेगा। 2. हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे निर्माण कार्य हेतु पंचायत उसमें सहयोग करने के बाद पी.एच.ई.उन नल जल योजनाओं को चलाने का काम करें। इन नल जल योजनाओं को बनाने के बाद ठीक से संचालित किया जा सकें उसके बारे में योग्य फैसला करेंगें।	सीधी जिले में 56 स्वीकृत योजनाओं में से 16 योजनायें पूर्ण की जा चुकी है। 25 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2010-11 में 15 योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है जिन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने की कार्यवाही की जावेगी। 2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के कार्य भारत शासन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है तथा पेयजल व्यवस्था हेतु राज्यांश के समतुल्य राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। दिनांक 1.4.09 से लागू नवीन मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संधारण का कार्य पंचायतों के द्वारा ही किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में नलजल योजनाओं का संधारण कार्य पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4918/2/34 दिनांक 28.10.2010	कोई टिप्पणी नही।
30.	308	परि.ता.प्र.सं 68 (क्र.68) दि.21.07.2009	सिवनी जिले में आंत्रशोध से प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु नलकूप का खनन।	पुन: प्रयास किया जायेगा।	जिले में 18 ग्राम आंत्रशोध की बीमारी से प्रभावित थे। इन सभी ग्रामों में पर्याप्त सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध है एवं ग्राम बघोडी विधानसभा सिवनी ग्राम पीपरढ़ाना ढुक्के टोला विकासखण्ड छपारा ग्राम चारग्रांव विकासखंड लखनादौन में ग्रीष्म ऋतु में अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था हेतु पंचायत द्वारा परिवहन से भी जल प्रदाय किया गया था वर्तमान में सभी ग्राम बीमारी से मुक्त हो चुके है। परिवहन वाले ग्रामों के अंतर्गत ग्राम पीपरढ़ाना विकासखण्ड छपारा के ढुक्के टोला में ड्रिलिंग मशीन नहीं पहुंच सकने से विभाग द्वारा कुंए का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कर पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ग्राम बघोड़ी में नलजल योजना के स्त्रोंत कुए की जल क्षमता कम होने से योजना बंद थी। यह योजना वर्तमान में चालू है। इस ग्राम में पंचायत द्वारा 1 नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापित किया गया तथा ग्राम में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है ग्राम चरगांव में वर्तमान में हैंडपंप एवं कुंए से जल प्रदाय हो रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13 4873/2/34 दिनांक 28.10.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	309	परि.ता.प्र.सं 71 (क्र.3247) दि.21.07.2009	छतरपुर एवं पन्ना जिले में वर्ष 2006 से 2007 तक प्रारंभ की गई योजनाओं से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की जाना।	शीघ्र क्रियान्वयन का प्रयास किया जायेगा।	छतरपुर जिले में वर्ष 2005 से 2007 तक कुल 16 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाये एवं 4 नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। 16 ग्रामीण योजनाओं में 16 योजनाओं से जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। 4 नगरीय आवर्धन जल प्रदाय याजनाओं के कार्य प्रारंभ किये गये थे। जिनमें से 3 योजनाओं से जल प्रदाय हो रहा है एवं शेष 1 योजना गढ़ीमलहरा आवर्धन जल योजना का क्रियान्वयन नगर पंचायत गढ़ीमलहरा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक 475 दिनांक 22.05.07 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 27.07.2008 से समस्त कार्य नगर पालिका को हस्तांतरित किये गये है। योजना के शेष कार्य नगरीय निकाय द्वारा स्वयं किया जाना होगा। पन्ना जिले की वर्ष 2005 से 2007 तक 14 नलजल योजनायें स्वीकृत हुई थी। स्वीकृत योजनाओं में 13 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय चालू किया गया। शेष 1 योजना ग्राम नयागांव की 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण। विभागीय पत्र क्रमांक 3555/ आर-3020/2011/2 /34,भोपाल दिनांक 13.08.2015	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	310	परि.ता.प्र.सं 89 (क्र.3491) दि.21.07.2009	अनूपपुर जिले के विकासखंड अनूपपुर एवं जैतहरी में वर्ष 2007 ये 2009 में शुरू की गई नल जल प्रदाय योजना को पूर्ण कराने के लिये बिजली कनेक्शन पाइप लाईन के कार्य पूर्ण कराये जाना।	शीघ्र क्रियान्वयन के प्रयास किये जा रहे है।	अनूपपुर जिले के विकासखंड अनूपपुर एवं जैतहरी में वर्ष 2007 से 2009 में शुरू की गई। 40 नलजल प्रदाय योजनाओं में से 37 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल प्रदाय किया जा रहा है। शेष 03 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 766/ 1634/2011/2/34 दिनांक 20 मार्च 2014</u> <u>अद्यतन :-</u> अनूपपुर जिले के विकासखंड अनूपपुर एवं जैतहरी में वर्ष 2007 से 2009 में शुरू की गई। सभी 40 नलजल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जलप्रदाय किया जा रहा है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 3384/1634/2011/2/34 दिनांक 13 अगस्त,2014</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	312	अता.प्र.सं 11 (क्र.1696) दि.21.07.2009	वर्ष 2008-09 में पन्ना जिले की जनपद पवई/शाहनगर तथा ग्राम पंचायतों में पानी का परिवहन किये जाने की शेष राशि का भुगतान।	शेष राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग से प्राप्त कर शीघ्र किया जायेगा।	कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन के लंबित देयकों के भुगतान हेतु आवंटन की मांग राहत आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल से की गई थी। जिसके तारतम्य में राहत आयुक्त भोपाल के आदेश क्रमांक 1253/एन.एफ.70 म.प्र./आवंटन/ग्रामीण / 09-10 दिनांक 06.11.09 द्वारा अंतरिम रूप से रूपये 10.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया था। इसके अतिरिक्त राहत मध्यप्रदेश भोपाल का आदेश क्रमांक 2250/एन.एफ.70 म.प्र./आवंटन /ग्रामीण/2010 दि. 31.12.10 के माध्यम से सभी जनपद पंचायतों को भुगतान हेतु पुन: आवंटित किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 62221 /2011/2/34 दिनांक 09.11.2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	313	अता.प्र.सं 25 (क्र.2441) दि.21.07.2009	**दमोह जिले के तेंदूखेड़ा एवं जबेरा विधानसभा के समस्या मूलक ग्रामों में जल योजना तथा टंकी का निम्ारण एवं ग्राम पतलोनी का बोर धसक जाने से दूसरे बोर का खनन कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना ।**	**शेष का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी । जी हां प्रयास किया जायेगा ।**	दमोह जिले के तेंदूखेडा एवं जबेरा विकासखंड के समस्या मूलक ग्राम सहजपुर की योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत स्वीकृत की जाकर पूर्ण की जा चुकी है । ग्राम बमनोदा,बंशीपुर एवं पटना मानगढ़ की योजनायें बुन्देलखंड विशेष पैकेज के तहत स्वीकृत की जाकर पूर्ण की जा चुकी है । ग्राम साखा की योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजना 2011-12 के तहत स्वीकृत है । जिसका कार्य प्रगतिरत है । ग्राम मौसीपुरा एवं रौड की नलजल योजनाएं शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है एवं नवीन दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जन सहयोग के माध्यम से 3 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा कर दी गई है । ग्राम पतलोनी में पूर्व में 2 नलकूप खनन किये गये थे । 01 विभाग द्वारा तथा दूसरा सरपंच द्वारा कराये गये है । दोनों नलकूप असफल रहे । माह अप्रैल 2011 में विभाग द्वारा एक नवीन नलकूप खनन कराया गया । जिसकी क्षमता 22.5 एल.पी.एम प्राप्त हुई है । जिससे योजना चालू की जा चुकी है । विभागीय पत्र क्रमांक 3687/ 1446/2010/2/34 दिनांक 3.10.2013	कोई टिप्पणी नही ।

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>314</td>
<td>अता.प्र.सं 35
(क्र.2712)
दि.21.07.2009</td>
<td>रीवा जिले में एवं विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में पेयजल की आपूर्ति ।</td>
<td>पंचायतों को क्षमता वृद्धि के प्रयास किये जायेगें ।</td>
<td>शासन द्वारा नल जल प्रदाय योजनाओं के संचालन / संधारण में आने वाली कठिनाईयां मुख्य रूप से स्त्रोतों के स्थायित्व एवं ग्राम पंचायतों की वित्तीय कठिनाईयों में सुधार के संबंध में तथा आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों को दिनांक 21.5.10 को जिला पंचायत स्तर एवं दिनांक 7.6.10 से 25.6.10 तक जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये ।
<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 3865/2011/2/34</u>
<u>दिनांक 4.07.2011</u>
<u>अद्यतन</u>
रीवा जिले में ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के संचालन / संधारण में आने वाले कठिनाईयों मुख्य रूप से स्त्रोतों के स्थायित्व एवं ग्राम पंचायतों की वित्तीय कठिनाईयों के समाधान तथा पंचायतों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किये गये है । प्रथम चरण दिनांक 7.6.2010 से 25.06.2010 की अवधि में तथा द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिनांक 25.04.2011 से 07.5.2011 की अवधि में पूर्ण किये गये है ।
विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में विकासखंड सिरमौर रीवा एवं रायपुर कर्चु0 के ग्राम सम्मिलित है । इन विकासखंडों में निम्न तिथियों में पंचायतों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये गये है ।
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विकासखंड</th><th></th><th>प्रशिक्षण दिनांक</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>प्रथम चरण</td><td>द्वितीय चरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>सिरमौर</td><td>25.06.2010</td><td>29.04.2011</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रीवा</td><td>07.06.2010</td><td>25.04.2011 एवं 26.04.2011</td></tr>
</table>
</td>
<td><u>कोई टिप्पणी नही ।</u></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विकासखंड</th><th></th><th>प्रशिक्षण दिनांक</th></tr>
<tr><td>3.</td><td>रायपुर कर्चु0</td><td>07.06.2010</td><td>25.04.2011 एवं 28.04.2011</td></tr>
<tr><td colspan="4">विभागीय पत्र क्रमांक 1527/2012/2/34
दिनांक 11.06.2012</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	315	अता.प्र.सं 48 (क्र.2930) दि.21.07.2009	अशोकनगर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बंद पडे हैंडपंपों को चालू किया जाना एवं इसके लिये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	हैंडपंप भरपट जाने के कारणों का परीक्षण किया जायेगा एवं दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर के पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 16.04.2010 के अनुसार वर्ष 2006-07,2008-09 में से क्रमश: 09,08 एवं 06 हैंडपंप (कुल 23 हैंडपंप) 19 जल स्तर में गिरावट से 02 भरपट जाने से 01 कोलेप्स होने से एवं 02 लाईन गिरने से बंद है । ये हैंडपंप असुधार योग्य हैंडपंपों की श्रेणी में होने के कारण सुधार कार्य संभव नहीं है । बंद हैंडपंपों के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता । विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-6163/ 10/2/34 दिनांक 9.11.2010	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	317	अता.प्र.सं 54 (क्र.3000) दि.21.07.2009	अनूपपुर जिले में साधारण बोर को ग्रेवल बोर के नाम से उत्खनन व भुगतान की शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।	जॉंच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शिकायत की जॉंच मुख्य अभियंता जबलपुर से कराई गई। मुख्य अभियंता जबलपुर ने पत्र क्रमांक 11144 दिनांक 26.12.2009 में लेख किया है कि प्रश्नाधीन ग्रेव्हलपेक्ड नलकूपों की जॉंच कार्यपालन यंत्री अनूपपुर द्वारा स्वयं स्थल पर जाकर की। नलकूपों का खनन उचित मानक एवं मापदंड के अनुसार होना पाया गया। खनन कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अत: शिकायत नस्तीबद्ध कर प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। मुख्य अभियंता जबलपुर द्वारा प्रेषित जॉंच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत के बिन्दु निराधार पाए जाने के कारण शिकायत नस्तीबद्ध की गई। विभागीय पत्र क्रमांक 1530/50/2011/2/34 दिनांक 22.03.2011	कोई टिप्पणी नही।
38.	319	अता.प्र.सं 77 (क्र.3484) दि.21.07.2009	1 जनवरी, 2007 से 31 मई, 2009 के बीच भिण्ड के तत्कालीन कार्यापालन यंत्री श्री आर.एन.करैया एवं अन्य के विरूद्ध शिकायतों की जॉंच एवं कार्यवाही।	शेष शिकायतों की जॉंच की जा रही है।	भिण्ड के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री आर.एन.करैया को शिकायतों में पाई गई अनियमितता के लिये उत्तरदायी होने के कारण शासन के आदेश क्रमांक एफ-5-22/09/1-34 दिनांक 20.05.09 के द्वारा निलंबित कर आरोप पत्र क्रमांक एफ-5-22/1-34/09 दिनांक 11.08.09 द्वारा जारी किये गये है। नियमानुसार विभागीय जॉंच उपरांत शासन के आदेश दिनांक 19.02.14 द्वारा भविष्य के लिये सचेत करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 1976/2095 (बी)/2014 /1/34, दिनांक 7.6.2014	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	326	मांगों पर चर्चा 20 दि.21.07.2009प्रदेश ।	में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बंद उपखंड कार्यालयों को प्रारंभ किया जाना	खोल देंगे।	कार्यालय पत्र क्रमांक 7401 दिनांक 22.08.2009 द्वारा शासन को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपखंड घटिया जिला उज्जैन को यथावत रखने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 6337/2011/2/34 दिनांक 9.11.2011	कोई टिप्पणी नही।
40.	327	ता.प्र.सं 2 (क्र.4593) दि.28.07.2009	1. दमोह जिले में जबेरा एवं तेंदूखेड़ा विकास खंडों अंतर्गत शेष तीन ग्राम कोडल्ला परनाकुंआ एवं कुसमीम में नल जल स्वीकृत की जाना। 2.गुबराकला ग्राम में हाउड्रों फेक्चरिंग मशीन से खनन की कार्यवाही।	1. शेष तीन ग्रामों में पंचायतों की सहमति प्राप्त कर योजनाएं तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। 2. हाइड्रों फेक्चरिंग मशीन तो हमने वहां पहुंचा दी है और गुबराकला में भी यदि सफल नहीं हुआ तो दूसरा हैंडपंप खुदवा देंगे।	1. ग्राम कोड़ाकला विकास खंड जबेरा की जलप्रदाय योजना लागत रूपये 49.79 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 155 दिनांक 15.03.2010 से जारी की गई है। 2. ग्राम कुसमी मानगढ़ विकासखंड जबेरा की जलप्रदाय योजना लागत रूपये 41.13 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 154 दिनांक 15.03.2010 से जारी की गई है। 3. ग्राम पटना कुंआ विकासखंड जबेरा की वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 857 है जो 1000 से कम है। ग्राम की जलप्रदाय योजना लागत रूपये 41.87 लाख की तैयार की गई थी। ग्राम की जनसंख्या कम होने एवं योजना की लागत अधिक होने के कारण प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।ग्राम में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक स्त्रोत निर्मित करने की कार्यवाही की जा रही है। 4. ग्राम गुबरा कला के नलकूप की हाइड्रोफेक्चरिंग जुलाई 2009 में करा दी गई है। नलकूप की जल आवक क्षमता 22 एल.पी.एम.प्राप्त हुई है जो कि हैंडपंप हेतु पर्याप्त है। अत: दूसरा हैंडपंप लगाना आवश्यक नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-3871/ 2011/2/34, दिनांक 4 जुलाई 2011	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	328	ता.प्र.सं.23 (क्र.4513) दि.28.07.2009	1.सुवासरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत असफल हैंडपंप की जगह नये हैंडपंप लगाया जाना एवं माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूची अनुसार कार्यो को पूर्ण करवाया जाना। 2. सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सफल हैंडपंपों का जल स्तर नीचे जाने पर उनमें मोटर पंप लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जाना।	1. जी हां। 2. माननीय सदस्य कहेंगे कि यहां पर पावर पंप लगाना है हम अवश्य लगा देगे।	1. सुवासरा विधान सभा क्ष्क्षेक्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 09-10 में 46 नलकूप खनित किये गये थे। जिनमें 41 नलकूप सफल एवं 5 नलकूपों के स्थान पर नवीन सफल नलकूपों का खनन किया जा चुका है। 2. माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सुवासरा के निर्देशानुसार ग्राम ढाबला देवल (बुधनसिंह का मजरा) एवं ग्राम खेजड़िया के नलकूपों का जलस्तर नीच चला गया था। अनमें सिंगल फेस पंप स्थापित किये जा चुके है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4946 /2/34</u> <u>दिनांक 29 अक्टूबर, 2010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>
42.	329	परि.ता.प्र.सं 17 (क्र.1908) दि.28.07.2009	सागर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 में स्वीकृत एवं शेष रहे खनन कार्य को पूर्ण करवाया जाना।	शेष कार्य शीघ्र कराया जायेगा।	वर्ष 2008-09 में आंशिक पूर्ण श्रेणी की 268 बसाहटों को पूर्ण श्रेणी में करने के लक्ष्य के विरूद्ध 57 बसाहटों में नलकूप खनन का कार्य शेष था। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्धारित लक्ष्यों के अंतर्गत कुल 130 बसाहटों में नलकूप खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अत: वर्ष 2008-09 में शेष रहे नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण करा लिया गया है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 2369/1229/</u> <u>2010/2/34</u> <u>दिनांक 8 जुलाई 2010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	330	परि.ता.प्र.सं 22 (क्र.2332) दि.28.07.2009	वर्ष 2008 में भिण्ड संभाग में पी.बी.सी.पाईपों की चोरी की जॉंच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	पुलिस जॉंच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण की जॉंच की जा रही है।	कार्यपालन यंत्री खंड भिण्ड के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 11.1.10 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरण में पुलिस द्वारा जॉंच की जा रही है। जॉंच प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर दोषी पाये जाने की स्थिति में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना संभव होगा। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-6154/ 10/2/34 दिनांक 19.11.2010 अद्यतन भिण्ड के भंडार प्रभारी श्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध कराना नहीं पाया गया है। अतएव जॉंच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं। विभागीय पत्र क्रमांक 4692/9317/बी-1/दो, दिनांक 7.8.2018 अद्यतन :- माननीय सदस्य चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के परि.तारा.प्रश्न क्रमांक 2331 दिनांक 28.07.2009 के उत्तर पर आश्वासन क्रमांक 330 निर्मित हुआ था। प्रश्न के लिखित उत्तर में विभागीय मंत्रीजी ने लेख किया है कि भिण्ड संभाग में 80 मि.मी.व्यास सी.आई.पाईप,11 मीटर 100 मि.मी.व्यास एस.सी.पाईप, 08 मीटर तथा 150 मि.मी.व्यास ए.सी.पाईप कुल 27 मीटर पाईप की चोरी हुई थी। जिसकी रिपोर्ट सिटी कोतवालीभिण्ड में दिनांक 15.12.2008 को भंडार प्रभारी श्री गजेन्द्र भदौरिया उप यंत्री द्वारा की गई। ये पाईप भंडार प्रभारी उपयंत्री श्री भदौरिया के नियंत्रण में रखे गये थे।	कोई टिप्पणी नहीं।

					प्रश्नांश(ग) में लेख किया गया है कि पुलिस जॉंच परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । यही आश्वासन का स्वरूप है । विभाग द्वारा यह अवगत कराया जाता रहा है कि नगर निरीक्षक जिला भिण्ड से जॉंच प्रतिवेदन अपेक्षित है । नगर निरीक्षण्क जिला भिण्ड की विवेचना के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । समिति द्वारा विभागीय जानकारी का परीक्षण किये जाने के पश्चात वस्तुस्थिति की जानकारी ज्ञात करने हेतु आश्वाससन क्रमांक 330 के संबंध में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 16477/आश्वा/2018 द्वारा गृह पुलिस विभाग से जानकारी चाही गई । गृह पुलिस विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 4662/9317/2017/बी-1/दो,दिनांक 7.8.18 द्वारा लेख किया कि भिण्ड जिले में पी.वी.सी.पाईपों की चोरी के संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड के भंडार प्रभारी श्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध कराना नहीं पाया गया है । गृह पुलिय विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जानकारी विरोधाभाषी है । विभागीय पत्र क्रमांक 4692/9317/बी-1/दो दिनांक 7.8.2018 अद्यतन:- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अनुसार भिण्ड संभाग में पी.वी.सी.पाइपों की चोरी के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.122008 को भंडार प्रभारी श्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा सिटी कोतवाली भिण्ड में पाईपों की चोरी हो जाने के संबंध में दर्ज कराई गई । विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-453/ 2016/2/34 दिनांक 12.12.2018	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	332	परि.ता.प्र.सं.64 (क्र.3767) दि.28.07.2009	भिण्ड जिले में दिनांक 1.1.2006 से 30.05.09 तक कराये गये निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं के जिम्मेदारों पर कार्यवाही।	अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही की जायगी।	भिण्ड के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री आर.एन.करैया को शिकायतों में पाई गई अनियमितता के लिये उत्तरदायी होने के कारण शासन के आदेश क्रमांक एफ-5-22/09/1-34 दिनांक 20.05.09 के द्वारा निलंबित कर आरोप पत्र क्रमांक एफ-5-22/1-34/09 दिनांक 11.08.09 द्वारा जारी किये गये है। नियमानुसार विभागीय जाँच उपरांत शासन के आदेश दिनांक 19.02.14 द्वारा भविष्य के लिये सचेत करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यवाही पूर्ण। विभागीय पत्र क्रमांक 1972/2095 (सी)/2014/1/34 दिनांक 7.6.2014	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	333	परि.ता.प्र.सं 77 (क्र.4108) दि.28.07.2009	कटनी जिले के विकासखंड बहोरी बंद एवं रीठी अंतर्गत ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति ।	निर्धारित मानदंडों के अनुसार पेयजल आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जायेगी ।	विकासखंड बहोरी बंद के ग्राम कोहका नवीन कालोनी तथा आदिवासी कालोनी में मैकेनिकल खंड द्वारा एक एक नल कूप/हैंडपंप (कुल 2 नलकूप/हैंडपंप) माह फरवरी 2010 में खनित कर हैंडपंप स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया । इसके अलावा वर्ष 2009-10 में दिनांक 1.4.2009 के बाद से कटनी जिले के विकासखंड बहोरीबंद में 59 नलकूप / हैंडपंप का खनन कार्य किया गया । जिनमें से 44 सफल रहे साथ ही बहोरीबंद में 30 तथा रीठी विकासखंड में 17 नलजल योजना संचालित है । उनसे पेयजल आपूर्ति की जा रही है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-4875/ 2/34 दिनांक 28.10.2010	कोई टिप्पणी नही ।
46.	334	परि.ता.प्र.सं 89 (क्र.4384) दि.28.07.2009	शाजापुर जिले में 2 वर्षो के अपूर्ण चैकडेम के कार्यो को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाया जाना ।	03 चैकडेम के कार्य प्रगति पर है जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है ।	3 चैकडेम क्रमश: ग्राम खोखरिया सुपरी उर्फ आंकली एवं शिवगढ़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-2376/ 1444/2010/2/34 दिनांक 8.6.2010	कोई टिप्पणी नही ।
47.	335	परि.ता.प्र.सं 101 (क्र.4462) दि.28.07.2009	विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009 -10 में कराये गये कार्यो का भुगतान ठेकेदारों को करवाये जाने की कार्यवाही ।	शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।	विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में जल संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित स्टाप डेमों का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-2363 /**1237/2010/**2/34 दिनांक 8.6.2010	कोई टिप्पणी नही ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	336	परि.ता.प्र.सं 115 (क्र.4588) दि.28.07.2009	मंदसौर जिला में बंद पड़ी स्वीकृत नलजल योजनायें प्रारंभ की जाना।	शीघ्र कार्यवाही का प्रयास किया जा रहा है।	आश्वासन में उल्लेखित 10 बंद नलजल योजनाओं में से 8 योजनाएं चालू की जा चुकी है। शेष 2 योजनाएं भी प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-13-1618/ **10/**2/34 दिनांक 6.11.2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	337	अता.प्र.सं 83 (क्र.4409) दि.28.07.2009	हटा एवं जतारा विधान सभा की नवीन नल जल योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करवाने की कार्यवाही ।	संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव संधारण संचालन हेतु सहमति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।	ग्राम घुराटा एवं मलवारा हेतु ग्राम पंचायत से प्रस्ताव एवं संधारण हेतु सहमति प्राप्त हुई । जिनकी योजनायें बुन्देलखंड विकास विशेष पैकेज के अंतर्गत एवं एक ग्राम कैथोरा की योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजना के माध्यम से जलप्रदाय चालू है । विभागीय पत्र क्रमांक 3747/2736/ 2013/2/34 दिनांक 8.11.2010 अद्यतन :- हटा एवं जतारा विधानसभा की नवीन नल जल योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने संबंधी कार्यवाही के संबंध में विभाग द्वारा नल जल योजना की पात्रता वाले कुल 36 ग्राम (विधानसभा क्षेत्र हटा का 01 ग्राम, ग्राम कैथोरा तथा विधानसभा क्षेत्र जतारा के 35 ग्राम) उल्लेखित किये गये थे । हटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कैथोरा की मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत नल योजना स्वीकृत की जा चुकी है । जतारा विधानसभा क्षेत्र में 35 ग्रामों में से 05 ग्रामों की योजना स्वीकृत एवं पूर्ण की चुकी है । 03 ग्रामों की नल योजनाओं को कार्य प्रगतिरत है । 02 नल योजना बुन्देलखंड फेस-2 के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है । एक ग्राम की योजना की डीपीआर तैयार की गई है तथा शेष 24 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना की डी.पी.आर. जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत बनायी जा सकेगी एवं तदुपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी । विभागीय पत्र क्रमांक 2420/आर /1511/2021/2/34, दिनांक 23.07.2021	कोई टिप्पणी नहीं ।

					<u>अद्यतन :-</u> हटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कैथोरा की नल-जल योजना मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत स्वीकृत की जा चुकी है तथा यह योजना पूर्ण की जा चुकी है । <u>विभागीय पत्र क्रमांक 33365/आर-151/2021/2/34 दिनांक 08.10.2024</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	760	अता.प्र.सं 95 (क्र.4408) दि.28.07.2009	वर्ष 2006 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा जिला दमोह एवं टीकमगढ़ में की गई घोषणाओं पर कार्यवाही।	घोषणाओं पर क्रियान्वयन की कार्यवाही जारी है।	दमोह एवं टीकमगढ़ जिले में की गई घोषणाओं पर कार्यवाही के संबंध में विभाग द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार है :- 1. दिनांक 04.04.2007 को ग्राम कुण्डेश्वार से टंकी का निर्माण संबंधी घोषणा अनुसार टंकी तैयार की जाकर दिनांक 12.05.2011 को हस्तांतरित कर दी गई है। 2. ग्राम बुड़ेरा में पानी की टंकी का निर्माण संबंधी घोषणा अनुसार टंकी तैयार की जाकर दिनांक 19.01.2013 को माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया। 3. टीकमगढ़ जिले में पेयजल समस्या से निपटने हेतु राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का विशेषज्ञ दल द्वारा जॉंच के संबंध में दल द्वारा 352 बसाहटों में 649 नलकूप खनन, 81 भरेपटे नलकूपों सफाई, 139 नलकूपों की हाईड्रोफेक्चरिंग, 727 हेंडपम्पों में 1141 नग राईजर पाईप विस्तार, 7 बंद नलजल योजनाओं में स्त्रोत निर्माण 19 स्टॉपडेम इस प्रकार 352 चिन्हांकित ग्रामों का कार्य दिनांक 30.06.2008 को पूर्ण कराया गया। 4. घोषणा क्रमांक-2711 दिनांक 28.07.2007 के पालन में दमोह जिले के विकासखंड जबेरा के ग्राम नोहटा में फिल्टर प्लान्ट के प्राक्कलन की दिनांक 16.05.2008 को स्वीकृति उपरांत फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा फरवरी, 2008 में 02 सफल नलकूप खनन कराये जाकर ग्राम अभाना जल प्रदाय योजना से जोड़ दिया गया है। अत: घोषणानुसार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक 2420/आर/1511/2021/2/34 दिनांक 23.07.2021	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	1148	ता.प्र.सं.1 (क्र.5037) दि.4.8.2009	छिन्दवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा क्षेत्र की स्वीकृत शेष पेयजल टंकियों का निर्माण।	शेष कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जाएगा।	छिन्दवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम थावरी-सावंरी में स्वीकृत नलजल प्रदाय योजना अंतर्गत अपूर्ण उच्च स्तरीय टंकी निर्माण कार्य की निविदा नियत दिनांक 7.10.2009 को प्रापत हुई थी जिसे मुख्य अभियंता जबलपुर द्वारा दिनांक 22.12.09 को स्वीकृति दी गई है। विभागीय पत्र क्रमांक 2365/579/2010/ 2/34 दिनांक 8 जून 2010	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	1149	परि.ता.प्र.सं 17 (क्र.3679) दि.04.08.2009	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जबलपुर परिक्षेत्र के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जे.एस.बघेल द्वारा आवंटन के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने की प्राथमिक जॉंच में दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही।	जॉंच प्रतिवेदन के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।	जॉंचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन में श्री जे.एस.बघेल पर आरोपित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये है । श्री बघेल सहायक यंत्री दिनांक 30.11.08 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें देय पेंशन से 15 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने के संबंध में लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत प्रकरण मंत्री परिषद के समक्ष विचाराधीन है। विभागीय पत्र क्रमांक 3644/5628/ 2011/1/34 दिनांक 3.11.2012 अद्यतन :- शासन आदेश क्रमांक एफ-5-14/02/1/34 दिनांक 24.01.2012 द्वारा श्री जे.एस.बघेल सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) की 15 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने की लघुशास्ति अधिरोपित की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक 1669/2491/ 2012/1/34 दिनांक 04.06.2012	कोई टिप्पणी नही।
53.	1150	परि.ता.प्र.सं 56 (क्र.5180) दि.4.08.2009	बेतवा नदी से डाली गई पाइप लाईन से वर्ष 2008-09 में फाल्ट होने से कई बार लीकेज होने की जॉंच एवं कार्यवाही।	कारणों की जॉंच की जा रही है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	बेतवा नदी पर आधारित योजना के पाईप लाईनों का सुधार कार्य कर लिया गया है । योजना के संचालन संधारण विभाग द्वारा सफलता पूर्व किया गया। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक 1903/545/2012 /2/34 दिनांक 4 मई,2012	कोई टिप्पणी नही।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	1151	परि.ता.प्र.सं 62 (क्र.5234) दि.4.08.2009	जिला भिण्ड के आलमपुर में पानी की टंकी के निर्माण हेतु बुलाई गई निविदा में शिवा इंटर प्राइजेस मानिक विलास ग्वालियर की साझेदार श्रीमती राजश्री शुक्ला के नगर निगम ग्वालियर में पदस्थ उपयंत्री पति द्वारा **FDR** की राशि रूपये 6000/- में हेराफेरी कर 66000/-किये जाने की जॉच एवं कार्यवाही।	जॉच होने के उपरांत दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	मेसर्स शिवा इंटर प्राइजेस के पंजीयन संबंधी अमानत राशि रूपये 34000/- (ब्याज सहित राशि रूपये 59971/-) जमा कर दिनांक 23.12.09 द्वारा राजसात की जा चुकी है। शेष राशि रूपये 7029/- मेसर्स शिवा इंटर प्राइजेस भिण्ड द्वारा चालान नं-01 दिनांक 15.10.2010 से जमा कर दी गई है। प्रकरण में श्रीमती राजश्री शुक्ला के पति श्री आर. के.शुक्ला उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विरूद्ध आदेश क्रमांक 38 दिनांक 16.07.2010 द्वारा विभागीय जॉच संस्थित की गई। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 950/1272/ 2011/1/34, दिनांक 15.03.2011</u> <u>अद्यतन :-</u> श्री आर के शुक्ला उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विरूद्ध पत्र क्रमांक 2085 दिनांक 4.3.2010 द्वारा आरोप पत्र जारी कर आदेश क्रमांक 38 दिनांक 16.07.2010 द्वारा जॉचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति कर नियमानुसार विभागीय जॉच पूर्ण कर दंडादेश क्रमांक 101 दिनांक 6.1.2012 द्वारा दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त किया गया है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 1974/2095(ए) /2014/1/34 दिनांक 7.06.2014</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>
55.	1152	अता.प्र.सं 66 (क्र.5126) दि.4.08.2009	विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी की शेष विधायक विकास निधि से हैंडपंपों का खनन।	03 नलकूप और खनित किये जा सकते है इस अतिरिक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जिला योजना समिति से प्राप्त होने के उपरांत इन्हें किया जा सकेगा।	वारासिवनी की शेष विधायक निधि राशि से 4 नलकूप खनित कर दिये गये है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक 2359/1231/ 2010/2/34 दिनांक 8 जून,2010</u>	<u>कोई टिप्पणी नही।</u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	1153	अता.प्र.सं 73 (क्र. 5272) दि.4.08.2009	धोहनी विधानसभा क्षेत्र में शेष हैंडपंपों का उत्खनन।	शेष हैंडपंपों का उत्खनन इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।	धौहनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व स्वीकृत 23 हैंडपंपों का खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष 2 हैंडपंपों के खनन का कार्यादेश दिया गया है । शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है । विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-4901/ 2/34, दिनांक 28 अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नही।
57.	1154	अता.प्र.सं 118 (क्र.2541) दि.21.07.2009 प्रश्नों के पूर्ण उत्तर खंड-2	प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।	उपलब्ध रिक्त पदों पर पात्रतानुसार नियमितीकरण संबंधी कार्यवाही की जा रही है।	नियमित स्थापना के अराज्यस्तरीय कर्मचारियों के सेवा भर्ती नियम 1976 में संशोधन का प्रकाशन दिनांक 24.11.2011 को किया गया है । जिसमें मुख्य अभियंता को नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । कार्यभारित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के भर्ती नियम दिनांक 18.09.2012 को जारी हो चुके है। मार्च 2015 तक विभाग में 1156 कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक 1612/2588/ 2015/1/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नही।

स्थान - भोपाल
दिनांक 17 मार्च, 2025

हरिशंकर खटीक
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति